CLF-SAC प्रशिक्षण मोड्यूल

प्रशिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका

जागोरी JAGORI

प्रदान Pradan PROFESSIONAL ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT ACTION

JSLPS Jharkhand State Livelihood Promotion Society

आभार

CLF SAC प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के रूप में विकसित करने में बहुतों का सहयोग मिला जिसकी बदौलत यह प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण क्षमता वर्धन में काफी मददगार सिद्ध हो रहा है|

सर्वप्रथम हम BMGF का आभार प्रकट करना चाहते हैं; NRLM के तहत GROW एक Pilot Project के रूप में BMGF के ही वित्त सहयोग से अग्रसर हो रहा है| महिला सशक्तिकरण तथा उनकी संस्थानों को संवेदनशील बनाने की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है| इसकी परिकल्पना में महिला-पुरुष बराबरी एवं सामाजिक न्याय सर्वोपरि हैं|

हम SWAYAM Partners के प्रति शुक्रगुजार हैं, उनके दिशानिर्देश एवं अनुमति के बिना ये मार्गदर्शिका सम्भव नहीं था| समय-समय पर उनके महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन इस pilot project को सही दिशा में ले जाने में बहुत मददगार सिद्ध हुए हैं|

हम JSLPS का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं; प्रवर्तक संस्था के रूप में JSLPS ने वृहत तौर पर स्वयं सहायता समूहों की संस्थानों का गठन किया है| उन्हीं मजबूत संस्थानों की बुनियाद पर इस प्रकार के pilot project की सफलता सम्भव है| GROW के लिए प्रयोगशाला प्रदान करने तथा सक्रिय सहयोगी संस्था की भूमिका अदा करने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद|

हम सभी BRP दीदियों के प्रति भी शुक्रगुजार हैं जिनके अनुभव एवं सीख के आधार पर प्रशिक्षण मोड्यूल में फेर-बदल कर उसे बेहतर बनाने में मदद मिली|

अंत में हम सहयोगी संस्था 'जागोरी' एवं 'प्रदान' का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने सयुक्त रूप से प्रशिक्षण मोड्यूल की मार्गदर्शिका तैयार कर संकलित किया है| आशा है ये मार्गदर्शिका CLF-SAC सदस्यों को सशक्त करने में तथा उनके मुद्दों को अपने स्तर पर सुलझाने में सक्षम बनाएगा|

विषय-सूची

CLF SAC प्रशिक्षण मैन्यूअल: पृष्ठभूमि....2
मार्गदर्शिका का उद्देश्य....3
CLF SAC प्रशिक्षण का उद्देश्य....3
पाँच चरणों के प्रशिक्षण का ढाँचा....4

पहला चरण: NRLM का सफर एवं महिलाओं के बराबरी के अधिकार....5
(सत्र-*1)* परिचय एवं स्वागत....6
(सत्र-2) NRLM के बारे में विस्तृत जानकारी....7
(सत्र-3) CLF के बारे में चर्चा....8
(सत्र-4) समाज के अलग अलग पहलू और उससे जुड़े भेद-भाव के बारे में समझ और चर्चा....10
पहले चरण की समाप्ति....12

दूसरा चरण: हमारा संविधान और हमारे अधिकार....13
(सत्र-1) पिछले सत्र का पुनरावृति: हमने क्या सीखा और क्या समझा?....14
(सत्र-2) हमारे संविधान और हमारे अधिकार....15
(सत्र-3) सरकारी योजना एवं संस्थानों तक हमारी पहुँच....21
(सत्र-4) पंचायती राज में ग्राम-सभा का महत्व....30
(सत्र-5) गाँव गरीबी निराकरण योजना (VPRP)....35

तीसरा चरण: जेंडर की समझ एवं बराबरी के कदम....38
(सत्र-1) जेंडर से जुड़े भेद-भाव और हिंसा - हमारा अनुभव और कार्य....39
(सत्र-2) महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा क्या है?....41

चौथा चरण: महिला हिंसा एवं संवैधानिक प्रावधान....43
(सत्र-1) पिछले सत्रों से मिली सीख को याद करना....44
(सत्र-2) भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान....45
(सत्र-3) SAC महिला हिंसा के मुद्दों पर कैसे काम कर सकता है?....50

पाँचवा चरण: जेंडर मुद्दे पर CLF संस्थान की भूमिका....51
(सत्र-1) पिछले चार चरणों में हमने क्या सीखा और क्या समझा....52
(सत्र-2) CLF SAC की मुख्य भूमिका, उद्देश्य और ढाँचा....54
(सत्र-3) सामाजिक सुधार समिति का कुछ मूल्य एवं आदर्श....58
(सत्र-4) आगे की कार्य योजना....59

पृष्ठभूमि

CLF, क्लस्टर स्तरीय संघ महिला समूहों को एक संगठित ताक़त के माध्यम से महिलाओं की ज़िंदगी से जुड़े विकास के कार्यों को करने के लिए मदद करता है तथा एक व्यवस्थित तरीक़े से मार्गदर्शन भी उपलब्ध करता है। ३०० से ३५० समूहों पर एक CLF बनता है, जो कि ३ से ५ पंचायतों को मिलाकर संगठित होता है और ग्राम स्तरीय संगठन से प्रतिनिधि CLF EC बैठक के सदस्य होते हैं। सभी तरीक़े के मुद्दों को लेकर CLF अपने बैठक में चर्चा करता है ताकि सभी महिला जो कि CLF की सदस्य हैं, उनके ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू जैसे कि आर्थिक सुविधा, ऋण, रोज़गार के साधन, सामाजिक लिंग भेद-भाव से जुड़े मुद्दे और महिलाओं पर हो रहे हिंसा पर चर्चा हो और एक योजना बने जिस पर CLF काम कर सके और ग्राम संगठनों को मदद कर सके। CLF में बनी उप-समितियाँ इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में तथा सदस्यों को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं।

सामाजिक कार्य उपसमिति (Social Action Committee), CLF स्तर पर बनाया जाता है जो कि CLF बनने के ३ महीनों के अंदर बन जाना चाहिए। यह उप-समिति सभी तरह के सामाजिक कार्यों जो कि महिलाओं के ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं जैसे कि सरकारी योजनाओं तक पहुँच, सामाजिक लिंग भेद-भाव से हो रहे अन्यायों, महिलाओं पर हो रहे हिंसा जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। SAC सदस्यों को इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए अलग-अलग तरह के प्रशिक्षण के साथ-साथ, CLF स्तर पर भी इन मुद्दों को आगे ले जाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी।

मार्गदर्शिका का उद्देश्य

यह मार्गदर्शिका CLF SAC सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए है, जो कि राज्य स्तरीय या ज़िला स्तरीय प्रशिक्षक इस्तेमाल कर सकते है। यह प्रशिक्षण पाँच चरणों के लिए बनाया गया है, ताकि CLF सदस्य अलग-अलग पाँच दिनों में भी यह प्रशिक्षण ले सकें। बीच में ७ से १० दिनों का अंतर रखा गया है, ताकि हर चरण के बाद महिलाओं को आपस में भी चर्चा करने एवं चीजों को और बेहतर तरीक़े से समझने का मौक़ा मिल सके।

यह प्रशिक्षण मार्गदर्शिका CLF SAC सदस्यों के लिए ज़रूरी जानकारी, SAC का उद्देश्य एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षक को मदद करेगा, लेकिन प्रशिक्षक चाहे तो इसे अपने संदर्भ के हिसाब से पूर्ण डिज़ाइन कर सकते है। पोस्टर एवं फ़िल्म का लिंक का भी इस्तेमाल अपने हिसाब से अलग-अलग संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

CLF SAC प्रशिक्षण का उद्देश्य

I. प्रशिक्षण के बाद सभी SAC सदस्यों को संगठन से जुड़ने के उद्देश्य एवं CLF के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक समझ बनेगा ताकि वो संगठन के ताक़त को समझते हुए SAC की भूमिका को समझ सके।

II. समाज में हो रहे भेद-भाव जैसे की जाति, आर्थिक श्रेणी एवं लिंग भेद-भाव के बारे में समझ और अपने जीवन से जुड़े इन भेद-भाव के प्रभाव के बारे में समझ और विश्लेषण कर सकें।

III. भारत के संविधान और नागरिकता के बारे में समझ और महिला होने के नाते अपने अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ा सके।

IV. सरकारी योजना, सरकारी संस्थान और उससे जुड़े प्रावधान के बारे में जानकारी बढ़े।

V. महिला हिंसा चक्र के बारे में समझ, हिंसा के प्रकार और उससे जुड़े न्याय प्रक्रिया के बारे में जानकारी बढ़े।

VI. संगठन से जुड़े संस्थागत ढाँचा जो कि सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि SAC, बदलाव मंच इत्यादि को मज़बूत कर सके।

पाँच चरणों के प्रशिक्षण का ढाँचा

पहला चरण

- NRLM से जुड़े महिला संगठन (SHG, VO एवं CLF) और उसके उद्देश्य
- समाज से जुड़े भेद-भाव- जाति, लिंग एवं आर्थिक श्रेणी आधारित समस्याओं की समझ बढ़ाना

दूसरा चरण

- हमारे संविधान और हमारे अधिकार
- सरकारी योजनाएँ और प्रावधान
- ग्राम सभा का महत्व

तीसरा चरण

- महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा पर रोक
- लिंग भेद-भाव और पितृसत्ता की समझ
- हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानूनी और सरकारी सेवाएँ

चौथा चरण

- हिंसा चक्र और उसके प्रकार
- महिलाओं के अधिकार और उससे जुड़ीं सेवाएँ
- क़ानूनी प्रावधान
- पीड़िता से चेंज एजेंट तक का सफ़र

पाँचवा चरण

- सभी चार चरणों के मुख्य बातों को दोबारा दोहराना
- CLF SAC के कार्य, सामाजिक मुद्दों के लिए संस्थागत ढाँचा पर विस्तृत चर्चा
- आगे की कार्य योजना

पहला चरण

समय: ४ घंटा

NRLM का सफर एवं महिलाओं के बराबरी के अधिकार

उद्देश्य

NRLM का संस्थागत ढाँचा एवं SHG, VO और CLF के उद्देश्य के बारे में अनुभव साझा करना और उससे जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में बदलाव पर चिंतन करना।

CLF के उद्देश्य एवं भूमिका के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी।

समाज से जुड़े भेद- भाव जैसे कि आर्थिक श्रेणी के आधारित, जाति, सामाजिक लिंग भेद-भाव और उससे महिलाओं और अति ग़रीब समुदाय के जीवन में प्रभाव।

सामग्री

पोस्टर- सामाजिक भेद-भाव के लिए

पोस्टर- NRLM का ढाँचा एवं CLF के उद्देश्य के लिए

चार्ट पेपर, मार्कर

सत्र १

(समय- ६० मिनट)

परिचय एवं स्वागत

अपना परिचय- अपने नाम एवं गाँव के नाम के साथ आप कब से समूह में जुड़े है और अपना कोई एक शक्ति/गुण जिस पर आपको गर्व है, बतायेंगे। (सभी सदस्य अपना परिचय देते हुए इन बातों को रखेंगे, सहजकर्ता एक चार्ट में इन बातों को अलग-अलग खानों में लिखेंगे ताकि अंत में सबों के शक्ति/गुण के बारे में एक साझा समझ बने।)

CLF से जुड़ने के बाद अपने अनुभव को साझा करना- आप CLF से कब से जुड़े हुए है? अभी तक का अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ अनुभव या अभी तक के कार्य के बारे में बताएँगे? सहजकर्ता इन सभी बिंदुओं को चार्ट पेपर पर लिखते हुए अंत में चर्चा को बाँधते हुए SAC सदस्यों का अनुभव को साझा करेंगे।

NRLM से जुड़े अभी तक के सफ़र

NRLM पूर्व आप के जीवन के कुछ अनुभव- NRLM आने से पहले आपका जीवन कैसा था? क्या-क्या समस्याएँ थी? महिलाओं के साथ क्या-क्या समस्याएँ थी? सदस्य इसे चर्चा करते हुए एक चार्ट पेपर पर प्रस्तुति करेंगे।

अभी क्या बदलाव दिख रहा है? कुछ ख़ास बदलाव जिसका अनुभव महिलाएँ आपस में साझा करेंगे जैसे कि आर्थिक सुविधा ऋण एवं अन्य सुविधा, रोज़गर से जुड़ना, घर से बाहर निकलना। सहजकर्ता इन सभी बातों को अंत में बाँधते हुए चर्चा को आगे लेकर जाएँगे।

सत्र २

(समय- ४५ मिनट)

NRLM के बारे में विस्तृत जानकारी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामुदायिक संस्थागत निर्माण कर स्वरोज़गार को बढ़ावा देना एवं ग़रीबी हटाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - ग्रामीण विकास मंत्रालय का उददेश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून, 2011 में आजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत की थी। आजीविका-NRLM का मुख्य उददेश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

NRLM मार्गदर्शिका सिद्धांत

- गरीब लोगों में अपनी गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छाशक्ति होती है। और इसके लिए उनमें भरपूर क्षमताएं भी हैं।
- गरीब लोगों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता के साथ-साथ सशक्त संस्थाएं बनाना बहुत जरुरी है।
- सामाजिक एकजुटता लाने, सशक्त संस्थाओं के निर्माण और सशकितकरण प्रक्रिया के लिए एक बाहय समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की जरुरत है।
- जानकारी का प्रचार-प्रसार, कौशल विकास, उधार की सुविधा, बाजार तक पहुंच एवं आजीविका से जुड़ी अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने से गरीब लोग स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

NRLM के मूल्य

आजीविका-NRLM के तहत सभी गतिविधियों को संचालित करने वाले महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य निम्न प्रकार हैं:

- समाज के अत्यंत गरीब लोगों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भूमिका।
- सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की पारदर्शिता तथा जवाबदेही।
- योजना, उसके क्रियान्वयन और निगरानी के सभी स्तरों पर गरीब लोगों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व और उनकी अहम भूमिका।
- समुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

*सहजकर्ता NRLM से जुड़े इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संगलग्न PPT को भी दिखा सकते है या उनका पोस्टर या फ़्लेक्स बनाकर अपने साथ रख सकते है।

सत्र ३

(समय- ६० मिनट)

CLF के बारे में चर्चा

आप लोग कब से CLF से जुड़े हुए है? और अभी तक CLF के बारे में क्या जानते है? हमारी क्या क्या उपलब्धियाँ रही? सहजकर्ता इन सवालों से चर्चा शुरू करते हुए, सदस्यों का CLF के बारे में अभी तक की समझ को एक चार्ट पेपर पर लिखकर दर्शाएँगे।

आइए CLF के बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक समझें। सहजकर्ता CLF-SAC की भूमिका और उसके उद्देश्य के बारे में पोस्टर या चर्चा करते हुए जानकारी देंगे।

संगठन की ताक़त

संगठन से जुड़ने के बाद सभी महिलाओं ने अनुभव किया होगा कि संगठन महिलाओं को किस तरह एकजुट होकर हर समस्या से लड़ने की ताक़त देती है। सहजकर्ता इस वीडियो के माध्यम से संगठन की शक्ति के बारे में चर्चा कर सकते है। वीडियो लिंक- HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QPZ2QUBVAEQ इस वीडियो को YOUTUBE से डाउनलोड करके अपने पास पहले से रख सकते है।

वीडियो दिखाने के बाद कुछ सवाल:

- *आप ने क्या-क्या देखा?*
- *कहानी से क्या सीख मिलता है?*
- *क्या संगठन में एकता भी ज़रूरी है? क्यों?*

इन सवालों के जवाब के साथ-साथ सहजकर्ता महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए भी प्रेरित करेंगे जो कि उनके ख़ुद की ज़िंदगी से जुड़े हो।

CLF- उद्देश्य एवं कार्य

CLF का मुख्य उद्देश्य है ग़रीबी एवं विकास के मुद्दों पर काम करना महिलाओं के संगठन के माध्यम से जो की नियमित तौर पर बैठक करे और इन पर चर्चा करे साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के अलग अलग पहलुओं को लेकर जागरूकता फैलाएँ।

- VO को प्रशिक्षण और अन्य सहयोग देकर सशक्त करना ताकि वो अपने उद्देश्यों पर काम
- SHG को नियमित तरीक़े से प्रशिक्षण एवं अन्य नियमों को पालन करने के लिए तैयार करना
- सरकारी संस्था एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ जुड़के योजनाओं को लभूकों तक पहचान एवं अपनी बात को रखना
- सभी तरह के कार्यकर्ता या सहयोगकारता (BRP,CRP)को चयनित करना एवं उनके कार्य योजना का समीक्षा करना
- सदस्यों के रोज़गार के साधन को मज़बूत करना एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करना

सहजकर्ता इन सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक समझाते हुए CLF की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे।

सत्र ४

(समय- ६० मिनट)

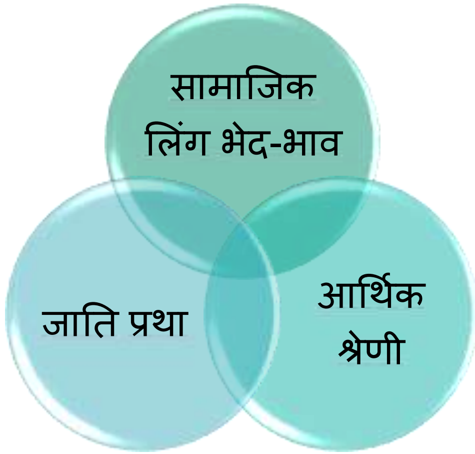

समाज के अलग अलग पहलू और उससे जुड़े भेद-भाव के बारे में समझ और चर्चा

हम समाज का मतलब क्या समझते है? समाज में कौन कौन रहते है? वे क्या करते है?

सहजकर्ता इन सवालों से सदस्य के ख़ुद के अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। सभी समुदाय एवं वहाँ के समाज के पहलू अलग अलग होते है, इसलिए ज़रूरी है के वहाँ के समाज के बारे में लोग अपना अनुभव बताएँ, जैसे कि समाज के मुखिया, आदिवासी समाज में मुंडा और उनकी ख़ास भूमिका। इस चर्चा के माध्यम से महिलाएँ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सामाजिक मुद्दों के बारे में भी धीरे धीरे खुलेंगी।

आइए एक छोटा सा वीडियो देखते है कुछ बातों को समझने के लिए -

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VRGZMN4-_YY इस वीडियो लिंक को भी पहले से YOUTUBE से डाउनलोड करके रख लें ताकि इन्टरनेट की समस्या ना हो। वीडियो ख़ासकर समाज में हो रहे जाति, लिंग भेद-भाव पर है, इसलिए वीडियो देखने के बाद इन सवालों से सहजकर्ता अपनी चर्चा आगे बढ़ा सकते है-

इस वीडियो में हमने क्या देखा? समाज में किस-किस प्रकार के भेद-भाव दिखा? भेद-भाव से क्या क्या फ़र्क़ पड़ा? क्या हमारे गाँव एवं समाज में भी हमने ऐसा देखा है? कुछ उदाहरण दीजिए?

सहजकर्ता इन सवालों के जवाब को समेटते हुए भेद-भाव और उससे लोगों की ज़िंदगी में हो रहे प्रभाव के बारे में समझ बनाए।

- सामाजिक लिंग भेद-भाव वर्षों से चला आ रहा है जो कि नियम बन चुका है और ये महिला और पुरुष के बीच में अंतर पैदा करता आ रहा है। एक तरफ़ जहाँ इससे महिलाओं की अपनी ज़िंदगी को ख़ुद के हिसाब से जीने के अधिकार को छीनता है, वही दूसरी तरफ़ पुरुष भी इस पितृसत्तात्मक सोच में दबते जा रहे है। आज समाज में कई कुरीतियाँ जैसे कि- बाल विवाह, भ्रूण हत्या और डायन प्रथा आदि इसी सोच का नतीजा है।
- जाति प्रथा ने भी समाज को बाँट दिया है, जिससे कि समाज में रह रहे अलग-अलग जाति ख़ासकर दलित वर्ग अपने आप को हाशिए में पाते है। उसी प्रकार आदिवासी एवं अन्य समुदाय के लोगों को भी उनका हक़ ठीक से नहीं मिल पता है।
- आज समाज में सबसे ज़्यादा ताक़त उन्ही के पास है जो कि आर्थिक रूप से सशक्त है। सभी तरह की सुविधा पर उनका हक़ पहले हो जाता है। कई बार संसाधन बँटवारा का निर्णय भी गाँव समाज में यही लोग लेते है।

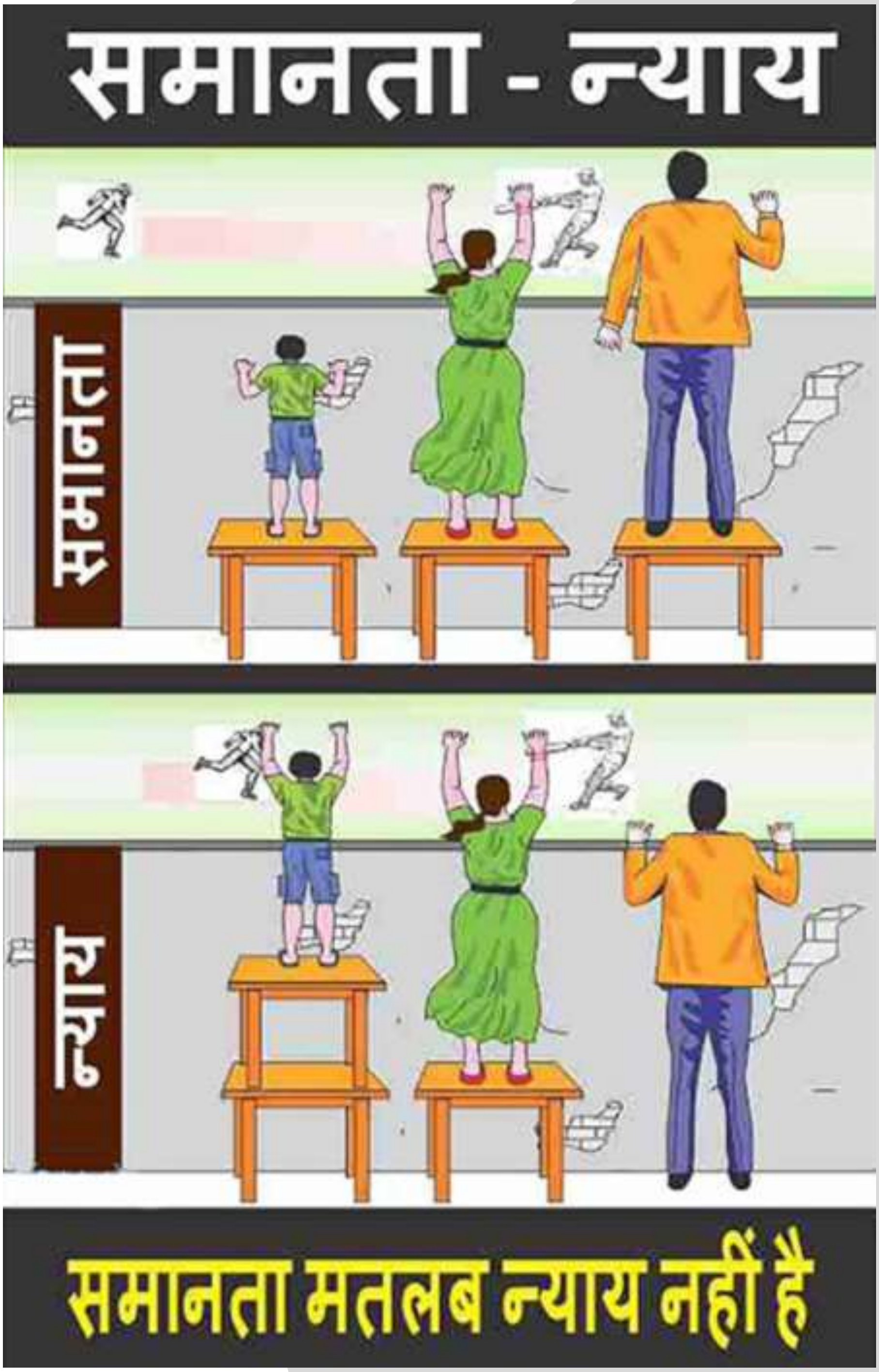

“ समाज में रह रहे सभी लोगों की ज़रूरत अलग-अलग है और जब उनके ज़रूरत के हिसाब से हम उनको सुविधा देते है तभी वो न्याय कहलाती है। बराबरी से बाँटने को कई बार न्याय नहीं कह सकते है।

इस चित्र में हम क्या देख रहे है?

किसको दो स्टूल की ज़रूरत पड़ी और क्यों?

बराबरी का मतलब सिर्फ़ बराबर बाँटना है??

हम न्याय कब बोलेंगे?

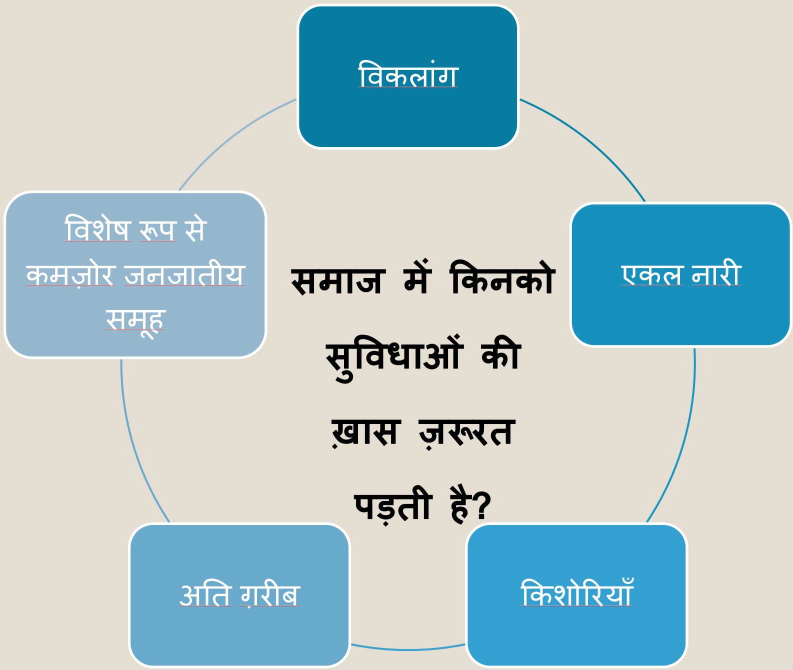

कई बार यह लोग समाज के हाशिए में रहने के कारण अपने हक़ से वंचित रह जाते है, इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी योजना को बनाते समय इनको प्राथमिकता दिया जाए।

पहले चरण की समाप्ति

(समय- ३० मिनट)

अंत में सहजकर्ता पूरे दिन के चर्चा को दुबारा संक्षिप्त में दोहराते हुए मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएँगे। सदस्य अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताएँगे कि कहाँ उन्हें समझने में आसान हुआ और कहाँ दिक़्क़त ,ताकि सहजकर्ता अगले चरण में उन बातों पर ध्यान दे सके।

ज़रूरी है कि अगले चरण के लिए दिन निर्धारित हो जाएँ ताकि बहुत ज़्यादा अंतर दो चरणों के बीच ना रह जाएँ। अंत में एक गीत के साथ समाप्ति की जाएगी।

दूसरा चरण

समय: ४ घंटा

हमारा संविधान और

हमारे अधिकार

उद्देश्य

भारत के संविधान और नागरिकता के बारे में समझ और महिला होने के नाते अपने अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ सके।

सरकारी योजना, सरकारी संस्थान और उससे जुड़े प्रावधान के बारे में जानकारी।

सामग्री

पोस्टर- सामाजिक सुरक्षा स्कीम

चार्ट पेपर, मार्कर

लैपटॉप, डेस्कटॉप एवं projector

सत्र १

(समय- ३० मिनट)

पिछले सत्र का पुनरावृति: हमने क्या सीखा और क्या समझा?

प्रशिक्षक सत्र की शुरुआत में समा बंधने के लिए अधिकार सम्बन्धी गाने से करें (आजादी गीत पृ. ५६/ चलो आओ बहनों पृ. २)

पिछले चरण की पुनरावृति के लिए इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछकर प्रतिभागियों से उनकी प्रतिक्रिया एवं विचार ले लें जिससे सभी प्रतिभागियों को अगले सत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी:

- *पिछले सत्र में हमने क्या-क्या चर्चा किया था?*
- *कौन कौन सी बातें हमें याद है?*
- *क्या हमने ये बातें किसी और से भी साझा की?*
- *क्या हमने कुछ काम भी किया? अगर हाँ तो क्या क्या?*

इसके बाद प्रशिक्षक दूसरे चरण के प्रशिक्षण के विषय का परिचय देते हुए आज के प्रशिक्षण में प्रवेश करेगा/ करेगी| तो आईये हम हमारे संविधान और हमारे अधिकारों को समझें|

सत्र २

(समय- ६० मिनट)

हमारे संविधान और हमारे अधिकार

हमारे संविधान पर एक छोटे डाक्यूमेंट्री फिल्म चलायें |

उसपर 10 मिनट का चर्चा रखें- *हमने क्या देखा ? क्या-क्या है जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है? यह अधिकार हमें कौन देता है?* प्रतिभागियों के जवाब को संगृहीत करते हुए चर्चा रखें-

मानवीय मूल्य आधारित संविधान

- *हमने कभी नियम बनाएं हैं ? कब और कहाँ बनाये हैं?*
- ग्रुप के लिए नियम बनाये होंगे, गाँव के लिए बनाये होंगे, अपने घरो को चलने के लिए बनाये होंगे
- *आपलोंगों ने ये नियम किन आधार/मूल्यों पर बनाये थे?*
- हमने समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा जैसे मूल्यों पर नियम बनाये हैं
- *क्या हमारा देश भी किन्ही नियमो से बंधा है? यह कहाँ लिखा गया है?*
- जब हमारे देश को अंग्रेज़ों से आजादी मिली थी, तब देश के लिए भी नियम बने थे। वो ज्यादातर ऐसे ही नियम थे जो हमने बनाये है और वो भी उन्हीं मूल्यों की बात करते है, जो हम सोचते है जैसे: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता| हमारे देश में नियम बनाने के लिए हमने इन मूल्यों का आधार लिया और इस संविधान के पहले पन्ने पर उद्देशिका / प्रस्तावना में ये लिखे गये है|

प्रशिक्षक/ सहजकर्ता भारतीय संविधान की प्रस्तावना को धीरे से पढ़कर प्रमुख शब्दों का मतलब बताते हुए इसमें निहित अधिकारों का व्याख्यान करें|

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

भारत का नागरिक कौन है?

लोगों का उत्तर का इंतजार करें तथा उनकी समझ को परखते हुए नागरिकता के बारे बताएं |

भारत का नागरिक वह है जिसका जन्म भारत देश में हुआ है। सभी जो भारत में जन्म लेते हैं वो नागरिक हैं।

यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता-पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा. भारत का संविधान लागू होने के पांच साल पहले से भारत में रह रहा हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा.

जिम्मेदार नागरिक कौन है?

- अपने परिवार में, आसपास, समूह में, गांव में, अन्याय और भेदभाव को पहचाने और उस पर कदम उठाये।
- संविधान के मूल्यों पर यानि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर चले। भेदभाव न करें।
- नियम कानून का पालन करें।
- नियम कानून का पालन नहीं हो रहा हो तो कदम उठायें।
- अपने अधिकार पाने के लिए कदम उठायें।
- समूह के लोगों के अधिकार के लिए भी कदम उठायें।
- सरकार की बनायी हुई सार्वजनिक संपति और सुविधाओं का सही उपयोग करे जैसे कि स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल...

नागरिकता से अगले विषय- मौलिक अधिकार में प्रवेश करें|

क्या आप कह सकते हो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बिना हमारा जीवन मुश्किल है?

उनके जवाब का इंतजार करें... तथा मानव होने के नाते जो मौलिक अधिकार मिलें हैं उनका ज़िक्र करें;

मूल (मौलिक) अधिकार

"वे अधिकार जो मौलिक (मूल संबंधी) होने के कारण संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ऐसे अधिकार जो इन्सान के रूप में जीने के लिए जरूरी है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है।

हम इन मौलिक अधिकारों को विस्तार से एक-एक कर देखेंगे और ये हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है और इसके अंतर्गत क्या अधिकार हमें प्राप्त हैं, उसे भी जानें-

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक)

इसके अंतर्गत कानून की नजर में सभी समान है। किसी के साथ भी धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होंगे।

कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14): विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं.

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15) : कुएँ, तालाब, स्कूल, रास्ते, बाग, स्नानघर जैसे सरकारी खर्च से चल रहे सार्वजनिक स्थल पर आने के लिए और उसका उपयोग करने की किसी को मना नहीं किया जायेगा।

लोक नियोजन के अवसरों की समानता (अनुच्छेद 16): सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर मिलेगा।

अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17): छूत-अछूत वाले व्यवहार पर पूरी पाबंदी लगायी गयी है।

उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18): समाज में ऊँच-नीच बढ़ाने वाले राजा-महाराजा जैसे खिताब देने पर भी पाबंदी लगायी गयी है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22 तक)

इसमें बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के एकत्रित होने, संघ बनाने व संपत्ति की स्वतंत्रता। किसी भी स्थान पर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यवसाय व आजीविका चलाने की स्वतंत्रता (कुछ अधिकारों की सीमा निर्धारित की गई है) इत्यादि शामिल है।

- **अनुच्छेद 19(1)क:** विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 19(1) ख:** अस्त्र-शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 19(1)ग:** समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 19(1)घ:** भ्रमण की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 19(1)ङ:** निवास की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 19(1)छः** व्यवसाय की स्वतंत्रता

इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई हैं.

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण

अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 22: गिरफ़्तारी और निरोध में संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24 तक)

इस अधिकार में बाल-श्रम, मानव-व्यापार, बेगार, इंसानों के प्रति दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध माना गया है।

- मनुष्य के क्रय-विक्रय और बेगार पर रोक
- बाल श्रम अर्थात् बच्चों को कारखानों, खानों अन्य किसी जोखिम भरे काम पर आदि में नौकर रखने का निषेध

“बंधक मजदूरी प्रथा, जहाँ कहीं भी हो, गैरकानूनी घोषित कर दी जाएगी.”

धार्मिक-स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28 तक)

इसके अंतर्गत आस्था व अंतःकरण (सहज ज्ञान) की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, उस पर विश्वास करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और विधि-सम्मत धन अर्जित करने की स्वतंत्रता आती है।

अंतःकरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25): इस अनुच्छेद के अनुसार अतः करण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त हैं. धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया हैं.

धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26): इस अनुच्छेद में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान, धार्मिक कार्यों के लिए दान देना व लेना कर मुक्त होगा, चल अचल सम्पति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार व उस सम्पति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार, विभिन्न धर्म व सम्प्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार हैं. लेकिन किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता हैं.

धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संचय से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27): जैसा कि हम जानते हैं भारत धर्मनिरपेक्षता को अनुसरण करता है. लोगों का तो यहाँ अपना धर्म हो सकता है पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा. राज्य जनता के पैसे को, जो कि टैक्स के रूप में आता है; उसका इस्तेमाल किसी भी धार्मिक कार्यों में नहीं करेगा तथा न ही राज्य किसी धर्म को प्रोमोट करेगा.

राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक (अनुच्छेद 28): इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी. न किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा.

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

संविधान हमारे मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लिखित इस में मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने "संविधान की आत्मा" कहा है।

संस्कृति व शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30 तक)

सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता है। राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सब बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी|

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा (अनुच्छेद 29): देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हैं. नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार हैं. इस तरह राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति, वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा.

अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन का अधिकार (अनुच्छेद 30): इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना व उनके संचालन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं. राज्य दवारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगे.

शिक्षा का अधिकार- संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम द्वारा **21 ए** को धारा 21 के बाद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया हैं.

इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सब बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी. इसी में यह भी कहा गया है कि 6 से 14 के वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी हैं.

मौलिक कर्तव्य

- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें.
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे.
- भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे.
- देश की रक्षा करे.
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे.
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे.
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे.
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे.
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे.
- माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन)

सत्र 3

(समय- ६० मिनट)

सरकारी योजना एवं संस्थानों तक हमारी पहुँच

पिछले सत्र में हमने जाना कि क्या-क्या अधिकार संविधान हमें देता है और हमारी भी क्या ज़िम्मेदारी है। आईये अब हम जानते है कि हमारी सरकार के दिए गए योजनाओं में हम कहाँ तक पहुँचे हैं । चित्र को दिखाते हुए पूछें- *“आप चित्र में क्या देख रहें हैं?”*

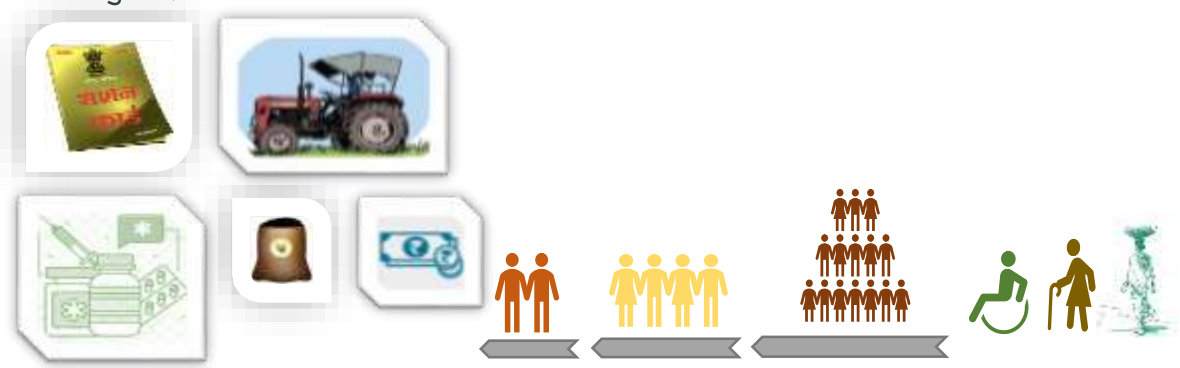

सबसे नज़दीक कौन लोग है? उनके पास क्या-क्या ताक़त है? क्या उनको किसी प्रकार की बाधा है? अगर हाँ/नहीं तो क्यों है? बीच में कौन है? उनको किस प्रकार की बाधा है? सबसे अंत में कौन लोग हैं? उनको किस प्रकार की बाधाएं हैं? कौन है जिनको ये सुविधाएँ मिलना बहुत मुश्किल है और क्यों?

प्रतिभागियों को सोचने का पर्याप्त समय दें कि आखिर ऐसा क्यों है?

चर्चा में बांधे कि समाज में कुछ लोग है जो हमारे सभी संस्थानों को नियंत्रित करते है क्योंकि उनके पास पैसा और ताक़त है। ज़्यादातर ऊँचे जाति के पुरुष या जिनके पास धन सम्पत्ति है उनका पहुँच ज़्यादा होता है और सभी तरह के निर्णय लेते है और जो ग़रीब मज़दूरी करते है, एकल महिला या विकलांग है वे वंचित रह जाते है। हमारे पास संगठन का ताक़त है, तो हम कैसे इस स्थिति को बदल सकते है? इस पर चर्चा करना होगा। कई बार हमारी जानकारी हमें ताक़त देती है। आइए हम समझे के गाँव स्तर पर क्या क्या सुविधाएँ हैं?

आपके गाँव / पंचायत स्तर पर ऐसे कौन-कौन से सरकारी संस्थान हैं? इन संस्थानों के साथ हमारा क्या रिश्ता है? क्या महिला समूहों का इससे कोई रिश्ता है? अगर कोई रिश्ता है, तो रिश्ता कैसा है?

फिर हर एक ग्रामस्तरीय संस्थानों के विषय में विस्तार से चर्चा करते हुए प्रावधान, उनके अधिकार एवं प्राप्त सेवा के बारे पूछें |

हमारा आंगनबाड़ी

- 400-800 की आबादी पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र होता है।
- 150-300 की आबादी पर 1 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होता है।
- आदिवासी / नदी / रेगिस्तान, पहाड़ी और अन्य कठिन क्षेत्रों / परियोजनाओं के लिए *1* आंगनबाड़ी केंद्र होता है।
- मांग पर आंगनबाड़ी [ANGANWADI ON DEMAND (AOD)] जहां एक समझौते में कम से कम 40 बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के हैं लेकिन कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तो वह भी एक आंगनबाड़ी केंद्र दिया जा सकता है।

आंगनबाड़ी केंद्र में सेवाएँ: आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन के साथ ही गर्भवती महिला को प्रसव पूरा होने के बाद 6400 रुपए का लाभ मिलेगा। इसमें से पांच हजार रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलेगा। शेष 1400 की राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती को दी जाएगी। इसके लिए जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है।

समेकित बाल विकास योजना के तहत पोस्टर में अंकित सभी सेवाओं का प्रावधान है:

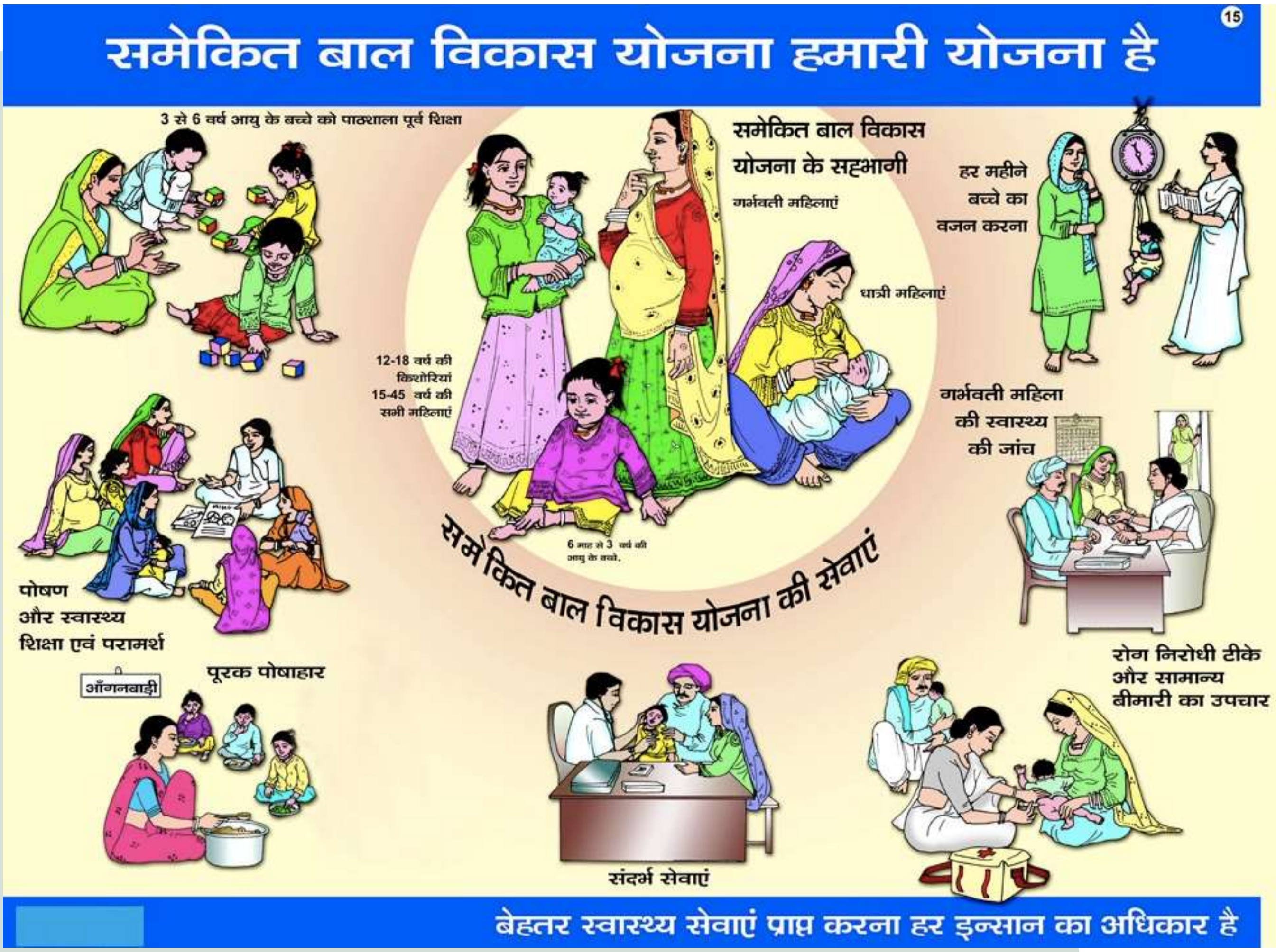

आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाली सेवाओं को हम विस्तार से इस प्रकार समझ सकते हैं-

सेवाएँ	**किनके लिए और क्या**
पूरक पोषण आहार	06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को 4.00 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 12-15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को 5.00 रूपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से 18-20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार गंभीर कुपोषित बच्चों को 6.00 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 20-25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार
स्वास्थ्य जांच	प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रत्येक माह में किसी एक मंगलवार या शुक्रवार के दिन ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। स्वास्थ्य जाँच के आधार पर स्वास्थ्य में सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियों को दी जाती है।
संदर्भ सेवाएँ	स्वास्थ्य जांच के आधार पर आवश्यक होने पर महिलाओं एवं बच्चों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखण्ड जिलास्तरीय चिकित्सालयों में रेफर किया जाता है।
टीकाकरण	प्रति आंगनबाड़ी प्रतिमाह किसी एक सप्ताह का मंगलवार और शुक्रवार टीकाकरण के लिये निर्धारित रहता है। उक्त दिवस में ए.एन.एम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है।
पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में गृह भेंट करने का प्रावधान है। गृहभेंट के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी व सलाह दी जाती है।
स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती हैं। बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे -जल, जंगल, जानवर, इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2020

गर्भवती महिला 6000 रूपये का लाभ हमारे देश की सभी गर्भवती महिलाओ को मिल रहा है| जो भी गर्भवती महिला इस योजना में आवेदन करने की इच्छुक है उन्हें आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तीन आवेदन फॉर्म भरने होंगे| प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2020 में आवेदन के लिए गर्भवती महिलाओ को आंगनबाड़ी या निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण फॉर्म भरकर जमा कराना होगा| इस योजना के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर रही है| PRADHAN MANTRI MATRITVA VANDANA YOJANA का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही गर्भवती महिलाओ को प्राप्त होगा| इस योजना के अंतर्गत वही गर्भवती महिलाये आवेदन कर सकती है जिनकी उम्र 19 साल या उससे अधिक है|

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2020 की किश्ते

गर्भवती सहायता योजना 2020 के अंतर्गत गर्भवती महिलाओ को मिलने वाली धनराशि 6000 रूपये तीन किश्तों में दिए जायेंगे पहली किश्त 1000 रूपये गर्भवती महिलाओ को आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराने के बाद दिए जायेगे| इसके बाद दूसरी किश्त 2000 रूपये गर्भधारण के 6 महीने के अंदर प्रयोगशाला में जांच कराने के बाद दिए जायेगे तथा तीसरी किश्त 2000 रूपये बच्चे के जन्म पंजीकरण तथा टीकाकरण जैसे (BCG,DPT,OPV) आदि के बाद दिए जायेगे|

प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना पात्रता (दस्तावेज़)

- गर्भावस्था सहायता योजना में आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओ की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
- इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओ को भी पात्र माना जायेगा जो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई है
- राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता पिता दोनों का आधार कार्ड
- बैंक खाते का पासबुक
- माता पिता दोनों का पहचान पत्र

हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ

स्वास्थ्य सेवाओं पर एक छोटी डाक्यूमेंट्री फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी| इसके बाद लोगों से उनकी प्रतिक्रिया सुना जायेगा|

गाँव गाँव तक स्वास्थ्य सेवाएँ करने बहाल के लिए जो आधारभूत ढाँचा की व्यवस्था है उसके बारे में बताया जायेगा|

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा०स्वा० कें०) (मिनी प्रा०स्वा० कें०, अतरिक्त प्रा०स्वा० कें०, सेक्टर प्रा०स्वा०कें०) 20,000 -30,000 आबादी के लिए एक बनाया जाता है। एक प्रा०स्वा० कें० ये सब सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होना चाहिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाएँ

- स्वास्थ्य जानकारी ताकि हरके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर फैसले ले सके।
- टीकाकरण जो अनके रोगों की रोकथाम कर सकते हैं जिनमें टिटनेस, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टी. बी. तथा टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली अन्य बीमारियां सम्मिलित हैं।
- गर्भावस्था के दौरान देखभाल (प्रसव के पूर्व देखभाल) जो किसी महिला को गर्भावस्था में उसे व उसके अजन्मे बच्चे को प्रभावित करने वाली समस्याओं का गंभीर होने से पहले ही समाधान करने में सहायक होती है।
- परिवार नियोजन सम्बंधित सेवाएं व पूर्ति जो महिलाओं को यह चुनने से सहायक होकर उनके जानें बचाती हैं कि महिलाओं को कितने बच्चे व कब-कब हों।
- टी.बी. व मलेरिया का शीघ्र निदान तथा उपचार
- प्रजनन तंत्र के रोगों व यौन संचारित रोगों, का प्रबंधन व रोकथाम
- मामूली रोगों का उपचार
- समय पर रेफरल सेवाएं
- पर्यावरण की स्वच्छता जिसमें पीने के पानी के श्रोतों का शुद्धिकरण भी सम्मिलित हैं।
- स्वास्थ्य गाईड्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों, स्वास्थ्य सहायकों व दाईयों का प्रशिक्षण

उप स्वास्थ्य केंद्र गांव के स्तर पर स्थित स्वास्थ्य चौकियां है । एक उपकेन्द्र लगभग 5000 लोगों को सेवाएं देता है । पहाड़ी, आदिवासी तथा रेगिस्तानी इलाकों में यह आबादी 3000 होती है । आम तौर पर 5-6 उपकेन्द्र एक प्रा०स्वा० कें० से जुड़े होते हैं ।

अस्पताल आम तौर पर बड़े कस्बों या शहरों में होते हैं और काफी महंगे हो सकते हैं । इनमे काफी संख्या में डॉक्टर्स व नर्स होती हैं और गंभीर रोगों के उपचार के लये विशेष उपकरण होते हैं । गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी ऐसे विशेष अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जी उसे प्रकार के रोगों का उपचार करता है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आम तौर पर कस्बों में होते हैं । प्रा०स्वा० केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं देने के साथ-साथ यहां लोगों के उपचार के लिए 30 बिस्तर भी होते हैं । प्रा०स्वा०केन्द्रों की तुलना में यहां डॉक्टर व प्रशिक्षित नर्सों की संख्या अधिक होती है और ये महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं । तदापि यहां भीड़-भाड होने और डॉक्टरों व नर्सों की अपने रोगियों को ठीक से न जानने की सम्भावना रहती है । सा०स्वा० कें० में विशेष उपकरणों से सज्जित प्रयोगशालाएं भी होती है जो रोग का कारण जानने के लिए परीक्षण कर सकती है ।

सहिया दीदी (ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करनेवाली) का कार्य

ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में भागीदारी

ग्राम स्वास्थ्य योजना ग्राम स्तर पर किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य कार्यों की आधारशिला होती है। इस योजना में स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानकर उसके समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती है। इस योजना को तैयार करने में 'आशा' नर्स दीदी, आंगनबाडी बहन और पंचायत सदस्यों की मदद करते हुए हिस्सेदारी करती है। 'आशा' यह सुनिश्चित करती है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला जैसी असेवित जनसंख्या को योजना प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार के लिए विचार विमर्श

स्वास्थ्य संबंधी सूचना और संपर्क, दवा की गोलियों और सुइयों की तरह की कारगर होता है, अर्थात उचित ज्ञान और सलाह लोगों को बीमारियों से मुक्त करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य आदतों में सुधार लाने हेतु वांछित सलाह और ज्ञान देना 'आशा' के कार्यों का एक मुख्य अंग है। इसके तहत 'आशा' को 'व्यवहार परिवर्तन हेतु संवाद' (बी.सी.सी.) के तरीकों जैसे समूह चर्चा, व्यक्तिगत चर्चा, ग्राम बैठक, क्लीनिक सम्पर्क, प्रदर्शनी, शिविर, स्वयंसेवी संघटनों की बैठक, धार्मिक सभा, किशोरों की बैठक में शामिल होकर चित्रकथा, चार्ट, पुस्तिका, पोस्टर, प्रभातफेरी, संगीत, कठपुतली नृत्य, नाटक आदि के माध्यम से ज्ञानवर्धन का कार्य करना है।

स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क व सहयोग आँगनबाडी कार्यकर्ती के साथ तालमेल

आशा एवं आँगनबाडी कार्यकर्ती माह में एक/दो बार स्वास्थ्य दिवस आयोजित करेंगी, जिसमें स्वच्छता, पोषण, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव आदि के बारे में बताया जाएगा। आँगनबाडी, 'आशा' को विभिन्न दवा/किटें प्रदान करेगी। 'आशा' गॉंव में पात्र दम्पति तथा १ वर्ष से कम आयु के बच्चों की अद्यतन सूची तैयार करने में आँगनबाडी बहन की मदद करेगी तथा पोषण आहार दिवस के दिन लाभार्थियों को आँगनबाडी केंद्र पर लाने में सहयोग करेगी।

ए.एन.एम.के साथ तालमेल

ए.एन.एम. 'आशा' के पर्यवेक्षक व प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती है।

- मरीज को अस्पताल तक पहुँचाने में मदद करना
- रिकार्ड रखना और पंजीकरण करना

राशन वितरण प्रणाली: (राशन कार्ड और उसके महत्व)

भारत की विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अपने नागरिकों को दिया जाने वाला राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ है, जिसके आधार पर रियायती दर पर निर्धन जनता को खाद्य सामग्री और केरोसिन तेल आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का आधार राशन कार्ड ही है।

राशन कार्ड का लाभ यह है कि इसके माध्यम से राज्य में रहने वाले निर्धन नागरिकों को सरकार की ओर से सरकारी राशन की दुकान को भेजे जा रहे खाद्य पदार्थ जैसे कि चीनी, चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन आदि सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अभी जब लॉकडाउन लगा है तो झारखंड में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, राज्य सरकार की ओर से इन सभी को अग्रिम दो माह का राशन दिया जा रहा है।

राशन कार्ड का प्रयोग:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार की ओर से जो लाभ प्राप्त सब्सिडी वाले अनाज एवं मिट्टी तेल आदि हैं, उन्हें झारखंड राशन कार्ड के जरिए राज्य के लोग रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
- एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र के तौर पर भी राशन कार्ड का इस्तेमाल परिवार द्वारा किया जा सकता है।
- झारखंड राशन कार्ड की मदद से अन्य दस्तावेज जैसे कि आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाये जा सकते हैं और पेंशन के लिए आवेदन आदि करना भी मुमकिन है।
- बिजली कनेक्शन लेने के लिए राशन कार्ड इस्तेमाल में आ सकता है।

राशन कार्ड के लिए पात्रता

- झारखंड राज्य का स्थाई निवासी आवेदक का होना जरूरी है।
- आधार कार्ड हो, कोई पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए।
- आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- बिजली का बिल या पानी का बिल हो।
- परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट आकार के फोटो भी होने चाहिए।

बीपीएल राशन कार्ड

बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजर-बसर कर रहे हैं। ये राशन कार्ड झारखंड के उन्हीं लोगों के लिए जारी किए जाते हैं, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी बिता रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आते हैं, उनकी वार्षिक आय 10 हजार रुपये से कम होनी जरूरी है।

AAY कार्ड

झारखंड सरकार से यह कार्ड उन लोगों के लिए जारी किए गए है, जिनका जीवन बहुत ही ग़रीबी में बीत रहा है। या तो इनके पास आय का कोई साधन नहीं है या इनके पास फिर आय निश्चित नहीं है|

एपीएल राशन कार्ड

एपीएल का मतलब होता है एबोव पावर्टी लाइन, यानी की ग़रीबी रेखा से ऊपर। यह कार्ड उनके लिए है जो ग़रीबी रेखा से ऊपर का जीवन व्यतीत करते है और आय का कोई सीमा नहीं रखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत अन्य सरकारी योजनाएँ

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना

विवरण

- यह योजना 18 या अधिक वर्ष की आयु के 80% दिव्यांग व्यक्ति/अथवा बौनों के लिए है।
- प्रत्येक लाभार्थी प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 1000/- रुपये।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) दिव्यांग प्रमाण पत्र
३) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
४) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
५) आवास प्रमाण पत्र

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

विशिष्ट जनजातीय समूह पेंशन योजना

विवरण

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल परिवार को प्रति माह 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्राप्त करने की पात्र है।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, मुखिया-पंचयत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
३) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
४) महिला का होना जरुरी
५) आवास प्रमाण पत्र

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

विवरण

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्ति 1000/रुपये प्रतिमाह की दर।
- साथ ही जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें ....) रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, मुखिया-पंचयत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
३) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
४) कोई अन्य पेंशन न मिल रह हो

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना

विवरण

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलायें 1000 (एक हज़ार) रुपये प्रतिमाह की दर।
- यदि सुची में नाम नहीं है तो अन्नपूर्णा का राशन मिलेगा।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, मुखिया-पंचयत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
३) पासपोर्ट आकार का फोटो
४) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
५) पति की मौत का प्रमाण पत्र/ मुखिया की अनुशंसा
६) आवास प्रमाण पत्र पिछले ५ साल तक का

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

सत्र ४

(समय- ३० मिनट)

पंचायती राज में ग्राम-सभा का महत्व

"आज़ादी की शुरुआत अनिवार्य रूप से निचले स्तर से होनी चाहिए, तब जाकर प्रत्येक गाँव गणतांत्रिक होगा और पंचायत पूर्ण रूप से सत्ता का केंद्र होगा - महात्मा गाँधी

सन् 1993 में संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। जिसमें पंचायत जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाने की बात कही गई। इसके आधार पर राज्यों ने अपने पंचायत अधिनियम में बदलाव किये। झारखंड में बदलाव के आधार पर झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 बनाया गया और संविधान में **त्रिस्तरीय पंचायत** की बात कही गई है|

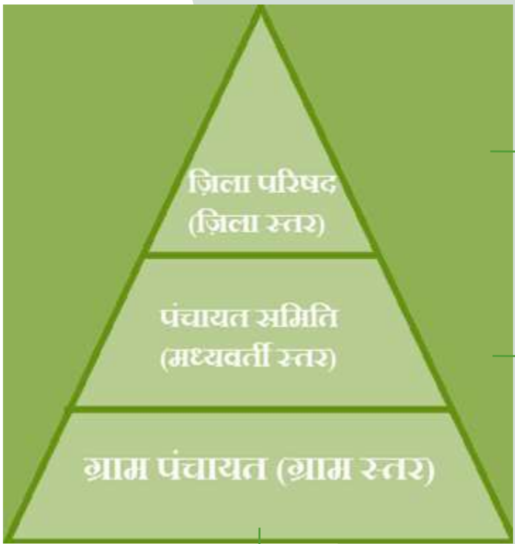

किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। सभी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की देखरेख रखती है।

कई ग्राम पंचायतों को मिला कर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं।

त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारम्भिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने-सामने हो कर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी होती है।

ग्राम सभा

- ग्राम सभा का क्षेत्र एक सम्पूर्ण ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।
- ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार निश्चित रूप से आयोजित की जानी है।
- ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेवारी मुखिया की है।
- यदि मुखिया द्वारा ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई जाती है उस स्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य के लाये जाने पर वह ऐसी बैठक बुला सकेगा।
- संविधान में हुए संशोधन में ग्राम सभा को गांव के विकास में सहभागी होने की और निर्णय लेने की मान्यता दी गई है।
- ग्राम सभा के माध्यम से मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों से बातचीत का मौका मिलता है और पंचायत के काम-काज को भी जानने -समझने का अवसर मिलता है।
- ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किए जा सकते। ग्राम सभा के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार केवल ग्राम सभा में ही निहित होता है।

ग्राम सभा की नियमावली

- ग्राम सभा में गणपूर्ति (कोरम)- ग्राम सभा कि गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/10 भाग की उपस्थिति जिसमे कम से कम 1/3 भाग महिला होंगी
- पीठासीन पदाधिकारी- ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता मुखिया और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे
- मुखिया और उप मुखिया कि अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा चुने हुए व्यक्ति ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे
- कोरम पूरा नहीं होने पर पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक को आगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा
- ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी
- ऐसी स्थगित बैठक के लिए नए विषय पर विचार नहीं किया जायेगा

ग्राम सभा के कर्तव्य

- गांव से सम्बंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना
- योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान करना
- सामुदायिक-कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना
- गांव में वयस्क शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम
- समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ाना
- मुखिया एवं सदस्यों से लेखा-जोखा एवं योजनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ
- निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना
- गाँव के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये कोई भी योजना, वार्षिक योजना, प्रोजेक्ट का अमलीकरण से पहले मंजूरी देना
- ग्राम सभा के वार्षिक बजट को सुनकर उस पर सुझाव देना
- ग्राम पंचायत आयोजित कार्यक्रम, प्रोजेक्ट; योजनाओं और कोष का अमलीकरण ठीक से कर रही है कि नहीं उसका पता लगाना और उसे प्रमाणित करना।

ग्राम सभा की विभिन्न समितियाँ

ये समितियाँ गाँव के विकास में कार्यशील होती हैं |

- प्रत्येक स्थायी समिति में चार सदस्य होंगे जो ग्राम सभा द्वारा चुने जायेंगे जिसमें से एक अध्यक्ष चुना जायेगा एवं सदस्यता के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।
- स्थायी समिति का कार्यकाल १ साल का होगा, पर सदस्य समिति में आ सकते है।
- समिति की बैठक महीने में एक बार होगी और बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी।
- समिति अपने समक्ष आये हुई सभी मुद्दों पर काम करेगी और अपने काम का विवरण अगली ग्राम सभा बैठक में रखेगी।

ग्राम पंचायत

- 5000 मतदाता की बस्ती के बीच में एक ग्राम पंचायत होगी अगर एक गाँव में इतनी मतदाता की बस्ती नहीं होगी तो गाँव का ग्रुप मिलकर एक ग्राम पंचायत बनेगी।
- ग्राम सभा के सदस्य चुनाव द्वारा मुखिया का चुनाव करेंगे। सभी वार्ड सदस्य का चयन भी करेंगे।
- वार्ड सदस्य के चयन में 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे। यदि अनुसूचित जाति और जनजाति लोकसंख्या कम होने के कारण 50 प्रतिशत सदस्य नही बन पाते है तो इसमे बाकी पिछड़े वर्गो का समावेश हो सकता है।
- महिलाओ के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

ग्राम पंचायत के कार्य

- गाँव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना।
- गाँव के लिए वार्षिक बजट बनाना।
- सरकार से आयी हुई सभी योजनाओं, कार्य और प्रोजेक्ट का अमलीकरण करना।
- योजनाओं के अंतर्गत आये हुए सभी फंड का योग्य तरीके से उपयोग और नियंत्रण रखना।

मुखिया के कार्य

- मुखिया ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है|
- ग्राम पंचायत संबंघित पत्र-व्यवहार, चेक, आदेश सभी उनके हस्ताक्षर से होते हैं।
- ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बैठक के अध्यक्ष मुखिया होते हैं।
- जब निर्णय प्रक्रिया में दोनों तरफ समान मत हो जाते है, तब मुखिया के मत से निर्णय किया जाता है।
- पंचायत के कर्मचारियों की देखरेख रखते हैं।
- पंचायत संबंधी सभी दस्तावेज और रजिस्ट्रर का ध्यान रखना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
- गाँव के विकास की योजना करके उसका बजट बनवाना भी मुखिया की जिम्मेदारी है।

सचिव के कार्य

ग्राम पंचायत और स्थाई समिति के सचिव के पद से जुड़े सभी कार्य सचिव को करने होंगे। सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय का प्रमुख होता है।

कार्यकारिणी समिति: गठन एवं कार्य

- सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर बाकि सभी समिति में पांच सदस्य होते है। सामान्य प्रशासन समिति में पांच से अधिक सदस्य होते है।
- स्थाई समितियों की बैठक महीनें में एक बार होगी। बैठक की नोटिस सात दिन पहले दी जायेगी।
- समिति का कार्यकाल पांच वर्षो के लिए होगा। स्थाई समिति अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सूचनाओ और जानकारियों का विश्लेषण करके पंचायत की कार्यकारिणी समिति के समक्ष अपने सुझाव रखेगी |
- पंचायत के सभी वार्ड सदस्य को मिलाकर पंचायत की कार्यकारिणी समिति बनेगी।
- कार्यकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष मुखिया होंगे|
- बैठक की गणपूर्ति के लिए बैठक में आधे सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। समिति की बैठक महीने में एक बार होनी चाहिए।

पंचायत के सभी महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय, योजना संबंधी, कर संबंधी प्रस्ताव, बजट, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बिना अमल नहीं किया जा सकता है। (धारा 69, 70 पं.रा अ.2001)

इस प्रकार से ग्राम सभा की अहमियत देखते हुए ग्राम सभा में नागरिकों की भागीदारी अति आवश्यक है| गाँव के, एवं जरुरतमंदों के समुचित विकास के लिए ग्राम सभा की बैठक, चर्चा एवं सामुदायिक निर्णय अति आवश्यक है |

सहजकर्ता यहाँ अगले सत्र के विषय का परिचय देगा- VPRP (गाँव गरीबी निराकरण योजना)| योजनाओं को सब तक पहुँचाने के लिए और ज़रूरतमंद को इससे फ़ायदा दिलवाने के लिए VREP एक अहम कार्य है जो SAC को सुनिस्चित करना पड़ेगा। आइए इस प्रक्रिया के बारे में और जाने।

कार्यकारिणी समिति

सामान्य प्रशासन समिति

विकास एवं निर्माण समिति

कृषि, सार्वजनिक सम्पदा तथा उद्योग समिति

संचार एवं अधोसंरचना समिति

ग्राम रक्षा समिति

महिला, शिशु तथा सामाजिक कल्याण समिति

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वन एवं पर्यावरण समिति

सत्र ९

(समय- ३० मिनट)

गाँव गरीबी निराकरण योजना (VPRP)

- संविधान के अनुच्छेद 243 G का उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्थानीय नियोजन और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों के संबंध में राज्य सरकारों को अधिकार और अधिकार प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों (GP) को सशक्त बनाना है।
- स्थानीय निकाय (GP) ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- गाँव गरीबी निराकरण योजना (VPRP) SHG (स्वयं सहायता समूह) नेटवर्क द्वारा तैयार की गई एक सामुदायिक मांग योजना है जिसे आगे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में एकीकृत किया जा सकता है।
- यह मिशन और योजना दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जिसके आसपास ग्राम पंचायत और SHG नेटवर्क लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- VPRP में SHG घरों की मांग और समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों की मांगें शामिल हैं।
- यह समुदाय के सभी वर्गों से मांगों के प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।
- VPRP भी एक निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारी योजना बनाता है।
- VPRP समुदाय की मांगों को संबोधित करने के लिए एक निचले स्तर की योजना है।

VPRP के मुख्यत: तीन उद्देश्य

स्थानीय विकास के लिए समुदाय की एक व्यापक और समावेशी मांग योजना तैयार करना

SHG संघ एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच समन्वय करते हुए मांग योजना के विकास की सुविधा

गरीबी उन्मूलन/ निवारण में सक्रिय भागीदारी के लिए समुदाय आधारित संगठनों और उनके नेतृत्व को मजबूत करना

VPRP के घटक

- सामाजिक समावेशन - NRLM के तहत SHG में कमजोर लोगों / परिवारों को शामिल करने की योजना
- हकदारी - विभिन्न योजनाओं जैसे कि MGNREGS, SBM, NSAP, PMAY, उज्ज्वला, राशन कार्ड आदि की मांग।
- आजीविका संवर्धन - विकासशील कृषि, पशुपालन, उत्पादन और सेवा उद्यमों और नियुक्ति के लिए कुशल प्रशिक्षण आदि के माध्यम से आजीविका बढ़ाने की विशिष्ट मांग।
- सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं - आवश्यक बुनियादी ढांचे की मांग, मौजूदा बुनियादी ढांचे के नवीकरण और बेहतर सेवा वितरण के लिए
- संसाधन विकास - प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, जंगल और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण और विकास की मांग
- सामाजिक विकास - GPDP की कम लागत वाले घटक के तहत एक गांव के विशिष्ट सामाजिक विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार की गई योजनाएं

ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (GPDP)

- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रियाओं में नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों को साथ लाती है।
- GPDP के विकास के मुद्दों, कथित आवश्यकताओं और समुदाय की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने की उम्मीद की जाती है, जिसमें सीमांत वर्ग शामिल हैं
- बुनियादी ढांचे और सेवाओं, संसाधन विकास और विभागीय योजनाओं के अभिसरण से संबंधित मांग के अलावा, GPDP में सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है।

योजना तैयार करने के स्तर

SHG स्तर	VO/PLF स्तर	GP/ VC स्तर
हकदारी योजना	हकदारी योजनाओं का समेकन	हकदारी योजनाओं की प्राथमिकता और समेकन
आजीविका सम्वर्धन प्लान	आजीविका योजनाओं का समेकन	आजीविका योजनाओं की प्राथमिकता और समेकन
	सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास योजना तैयार करना	सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संसाधन विकास योजना की प्राथमिकता और समेकन
	सामाजिक विकास योजना तैयार करना	सामाजिक विकास योजना का समेकन

VPRP के चरण

- VO स्तर पर कॉन्सेप्ट सीडिंग
- SHG स्तर पर हकदारी योजना और आजीविका योजना तैयार करना
- VO स्तर पर योजना की तैयारी और समेकन
- GP स्तर पर प्राथमिकता और समेकन

VPRP के भाग

- हक और अधिकार की योजना (Entitlement)
- आजीविका योजना (Livelihood)
- पब्लिक गुड्स, सर्विस व रिसोर्स डिवेलॅप्मॅन्ट योजना
- सामाजिक विकास योजना

GPDP में VPRP का एकीकरण

VPRP योजनाओं का एकीकरण इस तरीके से होगा| गाँव गरीबी निराकरण योजना के लिए परिवार वर योजनाएँ बनाई जाएगी जिसे ग्राम सभा में जमा किया जायेगा| इनका समेकन प्लान ग्राम सभा से ग्राम पंचायत जायेगा जहाँ ग्राम सभा से प्राप्त योजनाओ को प्राथमिकता के आधार पर पंचायत कि योजना में समिलित किया जायेगा| योजना के आधार पर उन्हें सरकारी विभागों में भेजा जायेगा और उपलब्ध कोष के आधार पर विकास के कार्य किये जायेंगे|

इस तरह सबकी सहभागिता से गाँव का विकास हो पायेगा एवं लोगों को उनका अधिकार प्राप्त होगा|

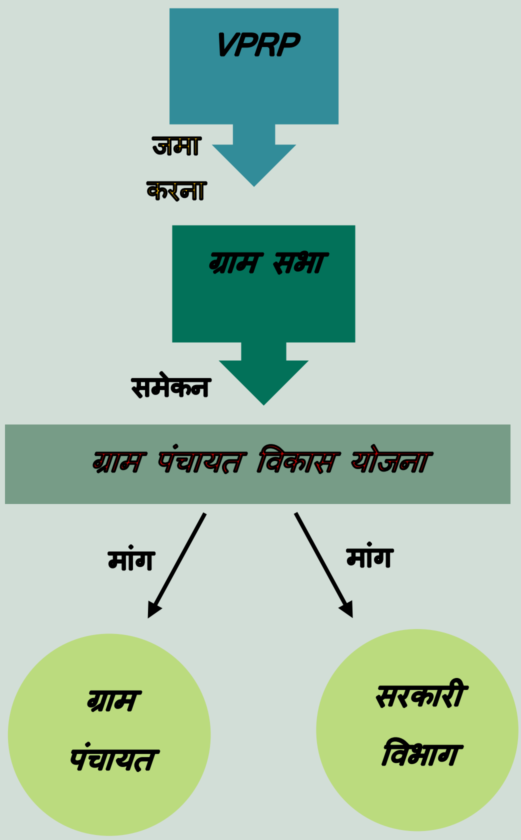

तीसरा चरण

समय: ४ घंटा

जेंडर की समझ एवं बराबरी के कदम

उद्देश्य

जेंडर से जुड़े भेद-भाव पर और गहराई से समझ बनाना और झारखंड के संदर्भ में महिला और लड़कियों के साथ हो रहे हिंसा पर समझ और आंकलन।

किस- किस तरह का सहयोग सरकार द्वारा और अन्य ग़ैर सरकारी संस्थान द्वारा सेवा और मदद मिल सकता है हिंसा के मुद्दों पर काम करने के लिए।

पीड़िता को मदद कैसे किया जा सकता है, किस- किस संस्थान से मदद लिया जा सकता है और प्रक्रिया में CLF की भूमिका।

अन्य संस्थान जैसे की DLSA, थाना, सरकारी विभाग के साथ नेट्वर्क और सम्बंध।

सामग्री

पोस्टर- हिंसा चक्र और उसके प्रकार

पोस्टर- पीड़िता से चेंज एजेंट तक का सफ़र

जागोरी का गाने का किताब

चार्ट पेपर और मार्कर्स

सत्र १

(समय- ६० मिनट)

जेंडर से जुड़े भेद-भाव और हिंसा - हमारा अनुभव और कार्य

- *हमारा अनुभव जेंडर से जुड़े भेद-भाव को लेकर क्या रहा एवं संगठन के माध्यम से किस तरह हम इसे रोकने का प्रयास किए है?*
- *क्या हम जानते है कि क्यों महिलाएँ और लड़कियाँ इन भेद-भाव से गुज़रती है? क्या प्रभाव पड़ता है?*

सत्र की शुरूआत कुछ ऐसे खुले सवालों से कर सकते है ताकि अपने आस-पास हो रहे भेद-भाव को लेकर सदस्य बात कर सकते है। ऐसे कौन से भेद-भाव जो महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करते है? यह खुला सत्र चर्चा के साथ शुरू किया जाये |

जेंडर ग़ैर बराबरी और उससे जुड़े भेद-भाव क्या है?

जब भी समाज में कुछ लिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तब समाज में ग़ैर बराबरी एक नियम बन जाता है जो कि सभी लिंग से जुड़े लोगों की पहचान को प्रभावित करता है।

- महिला और पुरुष के बीच की ग़ैर बराबरी ना कि सिर्फ़ घर के अंदर बल्कि यह समाज के सभी स्तर पर दिखने लगता है, जिससे उनके ख़ुद की ज़िंदगी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं रह जाता है।
- इसके कारण महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक बदलाव के लिए कम मौक़ा मिल पाता है ।
- यह एक ऐसी व्यवस्था को ले आता है जिससे महिलाओं के साथ संस्थागत हिंसा (जिसको समाज अपने नियम में ले आता है) का माहौल बन जाता और फिर पितृसत्ता को बढ़ावा मिलता है।

सहजकर्ता इन सभी बिंदुओं को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाएँगे, ताकि लोग अपने ज़िंदगी से जोड़ कर इन बातों को समझ पाए।

जेंडर ग़ैरबराबरी और भेद-भाव, समाज से जुड़ी दूसरी भेद-भाव के साथ और गहरा रूप ले लेता है -

- जाति
- उम्र
- वर्ग
- भोगौलिक
- शिक्षा
- धर्म
- विकलांगता
- यौन रुझान

यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए है, और कई बार एक व्यक्ति इनमें से भी एक से ज़्यादा भेद-भाव से गुज़रते है, जैसे कि कम उम्र की कोई आदिवासी लड़की एक ऊँचे जाति की महिला से भी ज़्यादा प्रभावित होती है आर्थिक मौक़ा या आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं मिल पाता है। इससे यह भी पता चल पाता है की समाज में सब से पीछे या सबसे हाशिए में कौन लोग हैं।

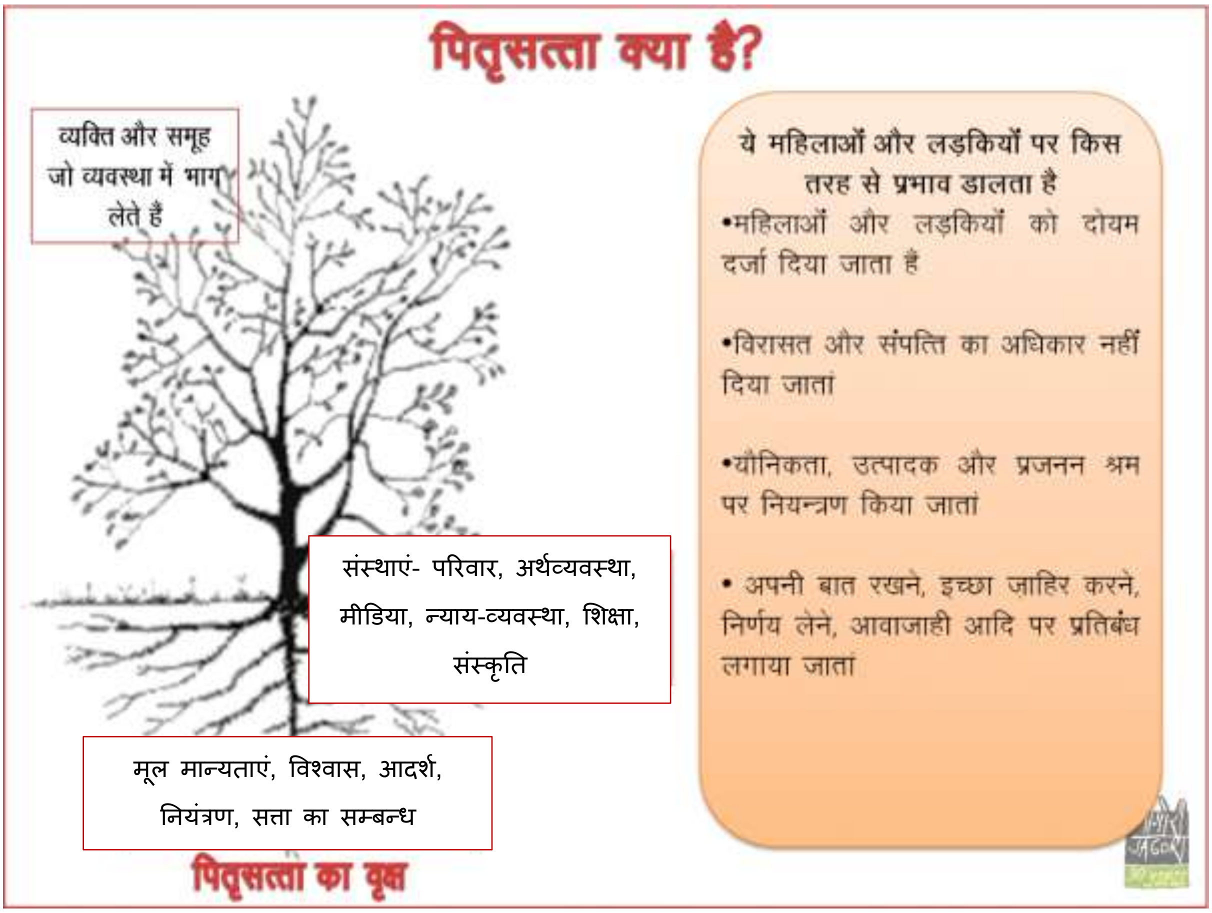

पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती हैं यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता हैं। राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, सम्पत्ति का नियंत्रण की भूमिकाओं में प्रबल होते हैं। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं व बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते है।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक ज़िम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के अवसर कम मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।

पितृसत्ता का वृक्ष बहुत मज़बूत होता है क्योंकि इसकी जड़ें हमारे समाज के मूल्य से जुड़े हुए है, जो कि लोगों की सोच और मान्यताओं में है। यह मूल्य महिलाओं को कमज़ोर, भावुक मानती है, पुरुषों को ताक़तवर और ज़िम्मेदार मानती है। इन मूल्यों को समाज से हटाने के लिए हर स्तर पर बातचीत होना ज़रूरी है। सभी तरह के संस्थाएँ जैसे कि बाज़ार, मीडिया, न्यायालय, शिक्षा भी इस वृक्ष के तनों को मज़बूती देते हैं। ये संस्थाएँ अपने विचारों में पितृसत्ता को और बढ़ावा देते है जैसे कि- बाज़ार में मोटर-साइकल और गाड़ी पुरुषों के लिए दिखाया जाता है और सजने संवरने का सामान महिलाओं के लिए दिखाया जाता है।

सत्र २

(समय- ६० मिनट)

महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा क्या है?

जेंडर आधारित कोई भी व्यवहार जिसके वजह से महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यौनिक नुक़सान पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना हो।

महिलों के ख़िलाफ़ हिंसा आज संस्थागत हो चुका है जहाँ उसके अपने आर्थिक आज़ादी, निर्णय लेने की अधिकार या अपने पसंद से शादी को भी समाज ने नियम क़ायदे के माध्यम से बाँध दिया है। कई बार इन नियमों को मनवाने के लिए और उनके हिम्मत को रोकने के लिए पुरुष या पुरुष प्रधान समाज अलग-अलग हिंसा का प्रयोग करते है। हिंसा से महिलाओं के अंदर डर और समाज के नियमों के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाने का हिम्मत को बरक़रार रखा जाता है।

महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के प्रकार

मुख्य तौर पर हिंसा के तीन प्रकार है जो महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करते है- शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, और यौनिक। यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए जैसे कि शारीरिक हिंसा से मानसिक तनाव का होना बहुत ही स्वाभाविक है, या यौनिक हिंसा से महिलाओं एवं किशोरियों में असुरक्षित भावना से उत्पन्न तनाव।

सभी महत्वपूर्ण क़ानून के बारे में चर्चा करते हुए आगे के लिए कार्य योजना बनाए। अगले चरण से पहले सभी SAC सदस्य अपने VO या समूह में से चर्चा करके एक केस लेकर आएँगे जिस पर उन्होंने काम किया हो या काम करने वाले है।

चौथा चरण

समय: ३.५ घंटा

महिला हिंसा एवं संवैधानिक प्रावधान

उद्देश्य

महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा ख़तम करना: सहयोग कैसे दे सकते हैं/ मिल सकता है

- कानून और अधिकार
- SAC महिला हिंसा के मुद्दों पर कैसे काम कर सकता है
- सहयोग सेवाएं और उन तक कैसे पहुँच सकते है

सामग्री

पोस्टर- भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान, कानून और क़ानूनी अधिकार

चार्ट पेपर, मार्कर

सत्र १

(समय- ३० मिनट)

पिछले सत्रों से मिली सीख को याद करना

एक ऐसी सीख के बारे में बताएं जो आपको पिछले सत्र से मिली हो प्रत्येक सहभागी अपना सीख बताएँगे। फैसिलिटेटर प्रत्येक सीख को लिखेंगे। इस प्रकार से पिछले तीन दिनों का सभी सत्रों की मुख्य बातों पर दोबारा चर्चा करेंगे।

सत्र २

(समय- ९० मिनट)

भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान

आर्टिकल १४: समानता का अधिकार

आर्टिकल १५: धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद-भाव का निषेध

आर्टिकल १५ (३): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है

आर्टिकल १६: अवसरों की समानता का अधिकार

आर्टिकल ३१ (डी): समान काम के लिए समान तनख्वाह का अधिकार

आर्टिकल ४२: काम के न्यायी और मानवीय परिस्थितियों का अधिकार

आर्टिकल २४३ (डी)/(टी): पंचायत और नगरपालिका चुनाव में कुल सीटों की एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी

आर्टिकल ३१ (ए): आजीविका सुरक्षित करने का समान अधिकार

कानून और कानूनी अधिकार

महिला हिंसा के खिलाफ कुछ कानून	महिलाओं के कुछ कानूनी अधिकार
• घरेलु हिंसा रोकथाम कानून, २००५ • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, २०१३ • सी. आर. पी. सी. संशोधन २०१३ (जस्टिस वर्मा कमिटी संशोधन) • कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, १९७९ • अनैतिक व्यापार (निवारण)अधिनियम, १९५६ • दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, १९६१ • हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६, (संशोधन, २००५) • आई. पी. सी का सेक्शन ४९८ A: महिलाओं के प्रति क्रूरता के लिए सजा	• यौन उत्पीड़न मामलों में गुमनामी बनाये रखने का अधिकार • रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार • मातृत्व लाभ का अधिकार • गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार • बलात्कार के मामलों में मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार • पुश्तैनी संपत्ति पर समान अधिकार • मुफ्त कानूनी मदद का हक़

सहजकर्ता प्रतिभागियों से पूछेंगे हिंसा होने पर कहाँ से मदद मिल सकती है? प्रतिक्रिया जानने के बाद, चार्ट पेपर के माध्यम से जानकारी देंगे-

- पुलिस थाना
- महिला थाना
- वन स्टॉप सेंटर
- हेल्प लाइन
- ज़िला क़ानूनी सेवा प्राधिकरण/DLSA
- महिला संगठन (AALI)

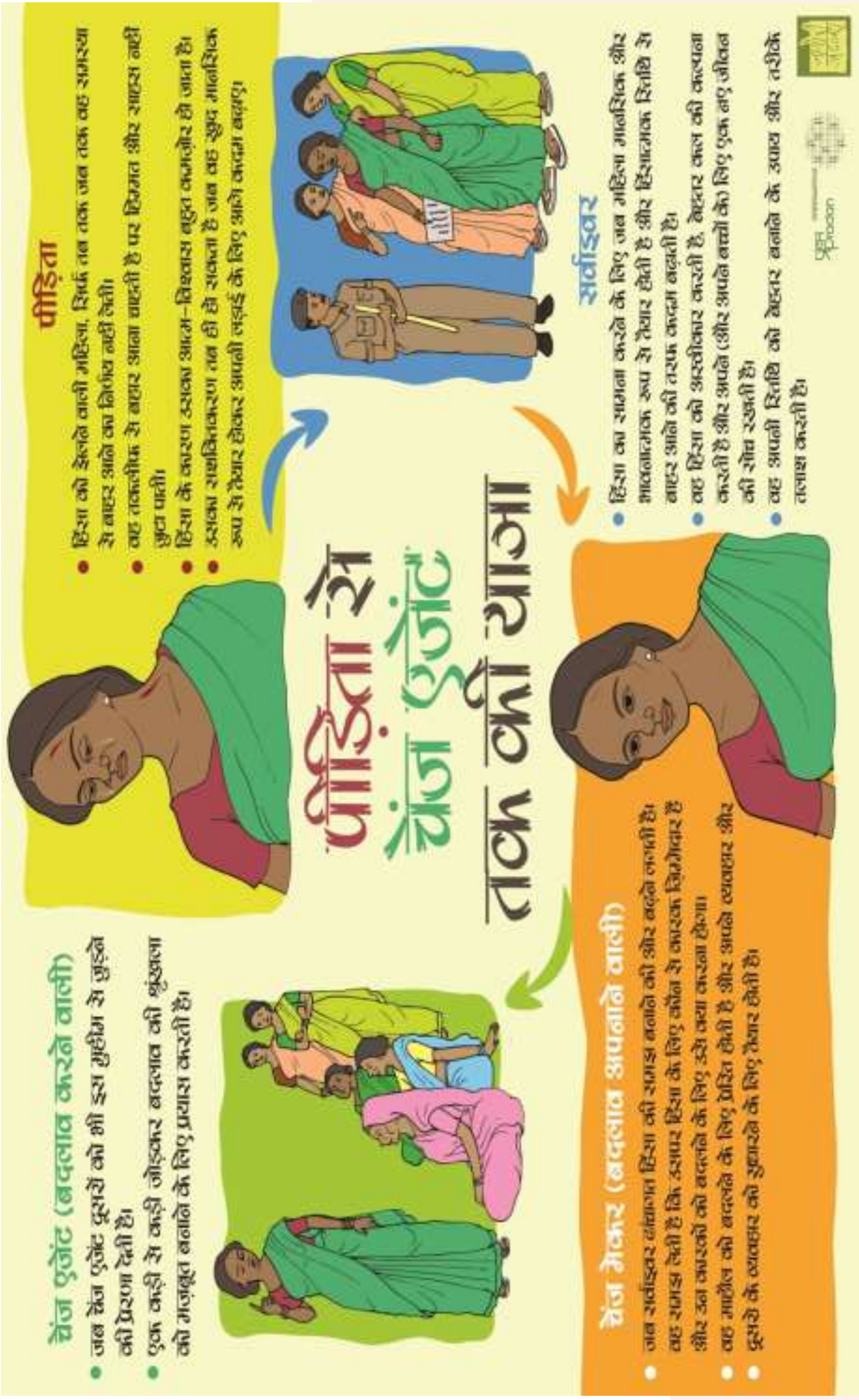

पीड़िता से चेंज एजेंट तक की यात्रा में महिलाओं को कैसे मदद करें

सहजकर्ता प्रतिभागियों को समझाते हुए बताएँगे कि कैसे हिंसा से पीड़ित महिला अपने आप को बदल सकती है और संगठन के सहयोग से “पीड़िता” से change “एजेंट” तक की यात्रा कर सकती है। इसके लिए पीड़िता को सहयोग की जरुरत है। इन अलग-अलग चरणों तक कैसे वो गुज़र सकती है और क्या- क्या सहयोग चाहिए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना है।

पोस्टर के माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया को समझना है और इसमें संगठन की ज़िम्मेदारी पर विशेष ध्यान देना है।

यौन हिंसा पर अकसर महिलाएँ चुप क्यों रहते है?

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया को समेटते हुए ये समझाना है कि डर और शर्म कई बार चुप्पी का कारण बन जाता है। इस स्थिति में पीड़िता को ये एहसास दिलाना जरुरी है कि उनकी गलती नहीं है।

चुप रहने का कारण है:

- डर, शर्म, असुरक्षा
- खुद पर क्रोध, सामना ना कर पाना
- अवांछित गर्भ
- सदमा; आघात; आत्मघाती विचार
- आत्मसम्मान और विश्वास की कमी

SAC दीदी, बदलाव दीदी/ बी.आर.पी दीदी हिंसा से पीड़ित दीदी को कैसे सहयोग दे सकती हैं?

- पीड़िता बदलाव दीदी / बी.आर.पी दीदी को हिंसा के बारे में सूचित करेंगे
- बी.आर.पी दीदी VO और CLF-SAC के सदस्यों को सूचित करेंगी
- बी.आर.पी दीदी और VO के सदस्य पीड़िता के लिए एक सहायक और सुरक्षित वातावरण बनाएंगे
- बी.आर.पी दीदी और SAC के सदस्य पुलिस या अन्य अधिकारियों को संपर्क करने में और न्याय दिलाने में पीड़िता की मदद करेंगे

मार्गदर्शक सिद्धांत

पीड़िता को सहयोग प्रदान करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत *का* पालन करना जरुरी है:

- मानवाधिकारों के लिए सम्मान
- लैंगिक समानता का बढ़ावा
- गैर भेद -भाव, गोपनीयता का सम्मान, हिंसा के विशाल अनुभव, शीघ्रता से और भावुकता के साथ काम करना, स्वयं शासन, गरिमा, सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रतिक्रिया के उच्चतम मानकों की ओर काम करें।

सहयोग कैसे देते है?

गोपनीयता सुनिश्चित करें

शांति से और धैर्य से सुने; पीड़िता को दोष ना दे

पीड़िता को अपने शब्दों में अपने अनुभव का व्यक्त करने दें

सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करे; चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए रेफरल

फॉलो-अप के महत्व पर जोर दे

पता करने की कोशिश करें कि क्या उसके परिवार के बच्चे/ किशोर खतरे में है,

उसे और खतरे में ना डाले

उसे किस तरह का न्याय प्राप्त करना है, यह फैसला उसका होना चाहिए

यह कभी ना बोले कि "इस तरह की हिंसा तो होती रहती है।" इस प्रकार की हिंसा की निंदा करे

उसे बताएं कि FIR कैसे फाइल करते है; कहाँ से मदद मिल सकती है; अगले कदम क्या होने चाहिए

क्या करें
धीरज रखें और शांत रहें
इशारों द्वारा उसे यह जानने दें कि आप सुन रहे हैं। जैसे : अपना सर हिलाएँ
वह चाहे तो उसे बात करते रहने के लिए बढ़ावा दें और पूछें "क्या मुझे और कुछ बताना चाहोगी?"
उसे जो भी बोलना है, वह बोलने का मौका दें और पूछें "मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ?"
उसकी भावनाओं को स्वीकार करें
क्या न करें
उस पर बात करने का दबाव ना डालें
ज़्यादा तेज़ न बोलें, अपने फ़ोन या अपनी घड़ी की तरफ़ न देखें और कुछ न लिखें
यह निर्णय न लें की उसने सही किया या गलत; उसके अनुभवों को छोटा महसूस न कराएँ
यह मत समझो कि आपको पता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है
बीच में न बोलें और सारे सवाल अंत में पूछें

यौन हिंसा/ बलात्कार के मामलो में अस्पताल/ कॉउंसलिंग केंद्र की प्रक्रिया

1. काउंसलर को पीड़िता की सहायता करनी चाहिए- उन्हें दोबारा आघात नहीं करना चाहिए
2. सहमति प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए
3. यह सुनिश्चित होना चाहिए कि केस का लेखन ठीक से किया जा रहा है
4. चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, सबूत जुटाना के लिए रेफरल देना चाहिए
5. सेवा प्रदाता के साथ संपर्क में रहना ; फॉलो अप की व्यवस्था करना

पीड़िता की बात सक्रिय होकर सुनना जरुरी है।

FIR दर्ज करना

सहजकर्ता प्रतिभागियों को ये बताएँगे कि FIR कौन दर्ज कर सकता है ? कहाँ दर्ज कर सकता है? कब दर्ज कर सकता है? दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? अगर FIR नहीं हुआ तो क्या करें ?

1. कौन FIR दर्ज कर सकता है?

पीड़िता, गवाह या कोई अन्य जिसके पास जानकारी है और वो FIR करने के लिए तैयार है।

2. हम इसे कहां दर्ज कर सकते हैं?

अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। वे शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते।

3. कब दर्ज हो सकती है FIR?

इसे तुरंत दर्ज करना होता है। जब घटना घटे हम इसे कर सकते हैं।

4. FIR दर्ज करने की प्रक्रिया

अधिकारी को इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा; जो रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, उन्हें पढ़कर सुनाना होगा ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि सब जानकारी सही है। फिर, जिन्होंने FIR लिखवाई हैं, उन्हें हस्ताक्षर करना होगा। पुलिस अधिकारी को इसकी कॉपी देनी होगी, बिना पैसे लिए।

5. अगर FIR दर्ज नहीं हुआ, तो क्या करें?

पुलिस अधीक्षक / उच्च अधिकारी डी.आई.जी, आई.जी.पी से मिलें। साथ ही एस.पी को लिखित शिकायत डाक से भेजें। वह या तो खुद जांच करेंगे या जांच का आदेश देंगे। आप न्यायालय में एक निजी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

यदि, पुलिस आपको बताती है कि घटना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो उन्हें **शून्य* -एफ.आई.आर** दर्ज करने के लिए कहें।

यौन उत्पीड़न से मुक्त और सुरक्षित कार्यस्थल कामगारी महिलाओं का मौलिक अधिकार है

यौन उत्पीड़न में क्या-क्या आता है?

- शारीरिक संपर्क और लाभ उठाना
- यौनिक सहयोग की मांग या अनुरोध करना
- यौनिक फब्तियां कसना
- अश्लील सामग्री दिखाना
- अन्य कोई अवांछित, शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौनिक व्यवहार

यौन उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) या स्थानिक शिकायत समिति (LCC) में की जा सकती है

जिला अधिकारी के महत्वपूर्ण कर्तव्य	• यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना • स्थानिक शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जांच रिपोर्ट की निगरानी करना
पीड़ित महिला के अन्य अधिकार	• स्थानांतरण (ट्रांसफर) लेना • ३ महीने तक की छुट्टी लेना
अगर यौन उत्पीड़न साबित हो जाता है तो स्थानीय शिकायत समिति जिला अधिकारी को सुझाव देगी कि	• उस व्यक्ति के वेतन में कटौती की जाए जिसने खिलाफ शिकायत की गयी है • अनुचित व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जाए

अनौपचारिक विवाद समाधान/तंत्र

औपचारिक तंत्र के साथ-साथ अनौपचारिक तंत्र से भी मदद लेना ज़रूरी है। अनौपचारिक तंत्र जैसे महिला न्यायालय, (महिला पंचायत, महिला-अदालत, नारी-अदालत, महिला मंडल, नारी न्याय समिति आदि)

महिला सभा

- सामुदायिक स्तर पर कानूनी सहायता देना
- महिलाओं को सामाजिक और भावनात्मक सहयोग देना - खासकर उन्हें जिनके पास पारिवारिक सहयोग नहीं है

इनके काम के दायरे में क्या आता है

- लिंग चयन पर प्रतिबंध
- लड़की के जन्म का जश्न मनाना
- गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की देखभाल
- सभी महिलाओं के लिए टीकाकरण और पोषण
- यह सुनिश्चित करना कि हर बालिका को उचित देखभाल, पोषण, टीकाकरण मिले
- महिला जागरूकता के मुद्दों पर काम

सत्र ३

(समय- ९० मिनट)

SAC महिला हिंसा के मुद्दों पर कैसे काम कर सकता है? इस काम में SAC को किस तरह की सहायता चाहिए होगी? आगे की कार्य योजना

ग्रुप कार्य: प्रतिभागियों को ३ छोटा समूह में भाग करके ३० मिनट समय देना होगा ग्रुप में चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय है- *आप महिला हिंसा मुद्दों पर कैसे काम कर सकते है? आपको किस तरह की सहायता चाहिए होगी? अगले ३ महीनों में आप क्या-क्या करना चाहेंगे?*

ग्रुप द्वारा प्रस्तुति एवं चर्चा - 15 मिनट

कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हो सकता है:

जानकारी, कहाँ-कहाँ जाना है जानकारी प्राप्त करने के लिए, निवारण के लिए पदक्षेप, अभियान (कैंपेन), सेवा प्रदाता तक पहुंच आदि

पाँचवा चरण

समय: ४ घंटा

जेंडर मुद्दे पर CLF संस्थान की भूमिका

उद्देश्य

पिछले सभी चार चरणों में दिए गए प्रशिक्षण के मूल बातों को दोबारा दोहराना और उनपर बने समझ को साझा करना।

जेंडर से जुड़े मुद्दों पर पूर्ण चर्चा, हिंसा उसके प्रकार एवं क़ानूनी सुविधा पर समझ

CLF SAC का भूमिका, उद्देश्य एवं संस्थागत ढाँचा पर विस्तृत समझ।

CLF SAC के मूल्य एवं आदर्श और बैठकी प्रक्रिया।

CLF SAC के आगे की योजना प्रक्रिया।

सामग्री

पोस्टर- संस्थागत ढाँचा का पोस्टर

पहले सत्रों के पोस्टर को भी रख सकते है

चार्ट पेपर और मार्कर

सत्र १

(समय- ६० मिनट)

पिछले चार चरणों में हमने क्या सीखा और क्या समझा

- आइए एक गाने से हम आज के दिन की शुरूआत करते है। कोई ऐसा गाना जो हम जानते है और गाते भी है। सहजकर्ता पिछले चरणों में सिखाए गए कुछ गाने जो सदस्यों ने सीखा है, उससे सत्र को शुरू करेंगे।
- क्या आप सभी पिछले चार चरणों के प्रशिक्षण में आए थे? क्या- क्या याद है? सहजकर्ता पहला चरण से लेकर चौथा चरण तक सदस्यों को याद करने में मदद करेंगे।
- क्या हमने इन सीखे हुए बातों को किसी और से भी साझा किया है? जैसे कि VO के अन्य सदस्य या अपने आस पास के लोगों के साथ?
- क्या हम इन सीखे हुए बातों पर कुछ कार्य भी कर पाए है? क्या-क्या कर पाए? सहजकर्ता मदद करेंगे इन सभी बातों को चार्ट पेपर में लाने की ताकि इसको बाद में समेटा जा सके।

पिछले चरणों में बतायी गयी कुछ ख़ास बातें

सहजकर्ता कोशिश करेंगे की ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य ख़ुद से इन बातों के बारे में बताएँ, बाद में कुछ ख़ास बिंदुओं को संक्षिप्त में बताएँगे। इस प्रक्रिया के लिए २ या ३ सदस्यों का छोटा समूह बनाकर चार्ट पेपर में लिख कर प्रस्तुति किया जा सकता है।

- NRLM का उद्देश्य, सामाजिक विकास वर्टिकल के बारे में समझ एवं संगठन के द्वारा विकास के कार्य।
- CLF का उद्देश्य एवं कार्य के अलग-अलग आयाम
- समाज के अलग- अलग पहलू - सामाजिक लिंग भेद-भाव, जाति प्रथा, आर्थिक श्रेणी, समानता एवं न्याय।
- समूह सम्बंधित ढांचा सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए।
- हमारे संविधान , हमारे अधिकार - मानवीय मूल्य, नागरिकता, जिम्मेदार नागरिक, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य।
- सरकारी योजना एवं संस्थानों तक हमारा पहुंच- पेंशन योजनाएं, आंगनवाड़ी, स्कूल, PDS, स्वास्थ्य, थाना, ब्लॉक एवं जिला सरकारी ऑफिस।
- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा -भूमिका, नियमवाली
- समाज में मौजूद दूसरे भेद -भाव के साथ जेंडर भेद- भाव का गहरा सम्बंध ,पितृसत्ता क्या है एवं इसका प्रमुख लक्षण
- हिंसा कैसे और क्यों ? महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्या है ?
- हिंसा के प्रकार - शारीरिक, योनिक, मानसिक व भावनात्मकहिंसा का जीवन चक्र एवं हिंसा का रूप - घरेलु हिंसा, दहेज़ संबंधी हिंसा, डायन का आरोप लगाकर हिंसा, गर्भ में लिंग का चयन काम उम्र में शादी, बच्चों का यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, कामों में भेद-भाव, यौन उत्पीड़न
- कानून और क़ानूनी अधिकार - महिला हिंसा के खिलाफ कुछ कानून , भारत में महिलाओ के लिए संवैधानिक प्रावधान
- पीड़िता से चेंज एजेंट तक की यात्रा - पीड़िता, सर्वाइवर, बदलाव अपनाने वाली, बदलाव करने वाली, यौन हिंसा पर चुप्पी के कारण - डर, शर्म, असुरक्षा, खुद पर क्रोध - सामना करने में असमर्थता , अवांछित गर्भ, सदमा, आघात, आत्मघाती विचार

सहजकर्ता इन सभी बिंदुओं पर एक दो बात चर्चा में लाएँगे, ज़रूरत पड़ने पर पहले सत्रों के पोस्टर्ज़ को दुबारा दिखाया जा सकता है।

सत्र २

(समय- ९० मिनट)

CLF SAC की मुख्य भूमिका, उद्देश्य और ढाँचा

CLF SAC का मुख्य उद्देश्य-

- VO स्तर पर बने जेंडर एक्शन प्लान के आधार पर CLF स्तर का कार्य योजना बनाना एवं मिशन के साथ शेयर करना
- बदलाव दीदी एवं VO -सामाजिक सुधार समिति की मदद से मुद्दों की पहचान एवं केस का समाधान करने का प्रयास करना
- थाना एवं अन्य क़ानूनी संस्था या वक़ील से अच्छा सम्बंध बनाना ताकि मुद्दों का समाधान हो सके
- समाज में अति ग़रीब एवं हाशिए पर रहनेवाले परिवार या व्यक्ति की पहचान करना और उनको योजनाओं से जोड़ना

ढांचा की अलग अलग स्तर का भूमिका एवं जिम्मेदारी

VO स्तर - VO सामाजिक सुधार समिति

VO अपनी सदस्यों में से पांच सदस्यों को VO- सामाजिक सुधार समिति के लिए चुनते है

जिम्मेदारी

- प्रत्येक VO मीटिंग में जेंडर शपथ लेने में अगुवाई करना
- प्रत्येक VO मीटिंग में सामाजिक एवं जेंडर मुद्दों को एजेंडा में लाना
- सामाजिक एवं जेंडर मुद्दों की चर्चा को फसिलिटटे करना जैसे वाल विवाह, डायन प्रथा, मानव तस्करी, घरेलु हिंसा, वाल-श्रम, यौन उत्पीड़न, स्कूल में बच्चों का दाखिला एवं उपस्थिति, सरकारी योजना नहीं मिलना आदि
- इस विषय में जो भी चर्चा होगा, जो भी मुद्दों में बात होगा, जो भी कार्य योजना बनेगा सभी को मिनट के रूप में अभिलेख में लाना होगा
- विक्टिम (जो दीदी के साथ किसी भी तरीका का हिंसा हुआ) महिला को परामर्श (काउंसलिंग) करना
- SHG से जो -जो केस आएगा VO की सहायता से उसका निवारण करने में मदद करना
- अगर VO में निवारण करने में कठिनाई एवं समाधान नहीं हो पाया तो उस केस को CLF में लेके जाना होगा
- VRF का सही उपयोग हो, जो हाशिये पर है उनको सही समय पर मदद मिले उसकी देखभाल करना।
- VO में जो- जो परिवार हाशिये पर है उनको चयन करके लिस्ट बनके VO में अभिलेख करना
- BRP की मदद से सरकारी योजना व प्रोग्राम में पहुंच बनाने में मदद करना

SHG स्तर - बदलाव दीदी

सामाजिक सुधार समिति एवं BRP की मदद से SHG के सदस्य अपने समूह के बदलाव दीदी का चयन करेंगे

मानदंड

- समूह का सदस्य होना चाहिए
- किसी भी तरीका की डिफाल्टर न हो
- समूह के सभी सदस्य सर्वसहमति से उनका चयन करेंगे
- वो बदलाव दीदी बनने के लिए इच्छुक हो
- इधर उधर जाने के लिए स्वेछा से समय दे पाए
- साक्षर होने से अच्छा है
- VO द्वारा तैयार और कोई मानदंड

जिम्मेदारी

- ग्रुप मीटिंग में, मौजूदा सामाजिक एवं जेंडर मुद्दों को चर्चा में लाना, जैसा कि- स्कूल एवं आंगनवाड़ी में सार्वाभौमिक नामांकन
- वाल विवाह, डायन प्रथा, मानव तस्करी, घरेलु हिंसा, बाल-श्रम, यौन-उत्पीड़न, VO के साथ संयुक्त रूप से चिन्हित और कोई मुद्दों को प्रकाश में लाना
- ग्राम सभा में महिला की भागीदारी
- जमीन व अन्य संपत्ति में महिला का मालिकाना एवं निर्णय लेना
- ग्रुप के सदस्यों का अधिकार संबंधित जानकारी का संग्रह एवं प्रसार करना
- प्रत्येक महीना के बदलाव मंच की मीटिंग में ग्रुप की प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना एवं अपनी ग्रुप की मुद्दों को शेयर करना

बदलाव मंच

- EC -1 मीटिंग के पहले बदलाव मंच का मीटिंग हो जाना चाहिए
- प्रत्येक SHG मीटिंग में सामाजिक एवं जेंडर मुद्दों को चर्चा में लाना, चर्चा करना। जो भी चर्चा हुआ एवं जो कार्य योजना बना व जो संकल्प (रेसोलुशन) लिया गया, सभी को SHG मिनट बुक में दस्तावेज करके अभिलेख में लेना होगा.
- प्रत्येक SHG मीटिंग में सामाजिक विकास के शपथ लेने में अगुवाई करना
- प्रत्येक महीने बदलाव मंच के मीटिंग में उपस्थित होना एवं अपने- अपने SHG में जो मुद्दों पर चर्चा हुआ एवं जो एक्शन लिया गया उसको शेयर करना
- अगर किसी महिला ने कोई केस दर्ज कराया जो कि हिंसा व अधिकार के हनन से सम्बंधित हो तब उस केस को चर्चा करके VO में दर्ज करना एवं उनको समाधान के तरफ लेने में मदद करना
- विक्टिम को SAC के मदद से परामर्श देना
- अगर केस VO स्तर पर समाधान में कठिनाई हो तो उसको CLF तक लेने में मदद करना
- क्योंकि इस मंच में पंचायत कार्यकर्ता,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM एवं और भी सरकारी विभाग से संबंधित लोग होंगे तो सरकारी योजना व प्रोग्राम में पहुंच बनाने में जो कठिनाई है उसकी भी चर्चा करके समाधान का रास्ता निकालने में मददगार होगा

CLF स्तर - CLF - सामाजिक सुधार समिति

- VO जो जेंडर एक्शन प्लान बनाये है उसके बेसिस में CLF स्तर का कार्य योजना बनाना एवं मिशन के साथ शेयर करना एवं मदद मांगना
- बदलाव दीदी एवं VO- सामाजिक सुधार समिति की मदद से मुद्दों एवं केस का समाधान करने का प्रयास करना
- अगर केस व मुद्दों का समाधान अपने स्तर पर नहीं हो पाए तो थाना व वकील व सरकारी विभाग तक पहुंचना
- अगर बहुत कठिनाई आये तो केस व मुद्दों की गंभीरता व प्रकृति को देखते हुए जिला प्रशासन तक पहुंचना
- मीटिंग में जो भी चर्चा हुआ, जिन मुद्दों पर बात हुआ एवं जो कार्य योजना बना, सभी को मिनट्स बुक में अभिलेख के रूप में रखना होगा
- सभी केस व मुद्दों का हर महीना में समीक्षा करना होगा

सामाजिक सुधार समिति (CLF SAC) को किस-किस विषय/क्षेत्र में काम करना है:

सामाजिक समावेशन
(social inclusion)

अभिसरण
(convergence)

विशेष मदद करना है:
•PwDs का समूह को
•बुजुर्ग एवं हाशिये पर रहने वाले लोगो को

जेंडर संबंधित मुद्दों

सामाजिक विकास

सामाजिक सुधार समिति फसिलिटटे करेंगे VREP (Vulnerability reduction planning)
जेंडर संबंधिप सामबेसन (convergence) प्लानिंग/ योजना वनाने का प्रक्रिया
एवं ये सब योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया

वल्नरेबिलिटी में कमी
(vulnerability reduction)

सामाजिक सुरक्षा

ग्रामपंचायत, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजना एवं अन्य सरकारी विभाग

सत्र 3

(समय- ६० मिनट)

सामाजिक सुधार समिति- कुछ मूल्य एवं आदर्श

- गोपनीयता
- संवेदना एवं सहनशीलता
- सुनना एवं समझना
- पूर्णवास (रीहबिलिटेशन)
- न्याय के आधार पर विचार करना
- अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एवं प्रेरित करना

सामाजिक सुधार समिति के पास महिलाओं के अलग-अलग केस आएँगे जो कि बहुत गोपनीय होंगे ताकि पीड़िता का परिचय सब तक ना पहुँच पाए, इससे कई बार डर और शर्म के चलते वो आगे नहीं आएँगे। क़ानूनन भी किसी भी केस की गोपनीयता ज़रूरी है।

सभी मुद्दों को सहनशीलता से समझने की ज़रूरत है, कोई भी विचार या फ़ैसला से पहले पीड़िता या याचिका के संदर्भ को समझना ज़रूरी है।

सुनना और समझना एक ज़रूरी प्रक्रिया है ताकि याचिका बिना डरे, भरोसे के साथ अपनी बात रख सके।

न्याय के आधार पर विचार होना चाहिए, हमारा क़ानून क्या कहता है और क्या पीड़िता के हित में है उसपर विचार होना चाहिए।

सभी स्तर पर जागरूकता फैलाना चाहिए ताकि अन्याय के ख़िलाफ़ महिलाएँ आवाज़ उठाए और इससे मुद्दों को सामने लाने में डर ना लगे।

पूर्णवास व्यवस्था और इस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पीड़िता को वापस अपनी ज़िंदगी को अच्छा से जीने का मौक़ा मिले, और इसके लिए हर तरह की सुविधा सुनिश्चित करना चाहिए।

बैठक में चर्चा करने की प्रक्रिया

मुद्दों की पहचान: अलग अलग *VO* से कुछ मुद्दे आएँगे जो कि वहाँ के संदर्भ के लिए बहुत ही ज़रूरी हो, या कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिससे कि कोई एक समुदाय या किसी व्यक्ति के ज़िंदगी के लिए बहुत ही संगीन हो, *SAC* सदस्यों को मुद्दों को प्राथमिकता उसके गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए करना होगा ताकि समस्या पर जल्दी कार्य हो सके।

मुद्दों पर चर्चा एवं आंकलन: मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा होना ज़रूरी है, ताकि समस्या का सभी पहलुओं पर चर्चा हो सके। सभी तरह के विकल्प का आंकलन हो ताकि सही फ़ैसला में मदद मिले। ज़रूरत पड़ने पर अलग-अलग लोगों से बात करना और सलाह लेना भी ज़रूरी है।

सर्वसहमति से निर्णय एवं पीड़िता के सहमति से: निर्णय हमेशा न्याय को ध्यान में रखते हुए ही होना चाहिए और सभी सदस्यों के सोच और समझ को ध्यान में रखते हुए निर्णय होना चाहिए। बहुत ज़रूरी ही कि पीड़िता या याचिका का सहमति और उसका विश्वास उस फ़ैसले पर होना चाहिए।

योजना एवं ज़िम्मेदारी का बँटवारा: समस्या का निवारण के लिए पूरा विस्तार से योजना बनना चाहिए और आपस में ज़िम्मेदारी का बँटवारा जैसे कि कौन किससे बात करेगा, कौन परिवार से बात करेगा, कौन पीड़िता के साथ जाएगा इत्यादि। बैठक में फिर इन कार्यों का सही तरह से समीक्षा होना चाहिए।

सत्र ४

(समय- ३० मिनट)

आगे की कार्य योजना

ग्रुप कार्य- सदस्य मिलकर अपने CLF के लिए आगे की योजना बनाएँगे।

- *आगामी तीन महीनों के लिए आपकी कार्य योजना क्या होगी? किन-किन विषयोँ पर आप लोग काम करेंगे और कैसे?*
- *कार्य योजना प्रस्तुतीकरण- कार्य कैसे करेंगे, समय सीमा एवं किससे मदद चाहिए।*
- *कार्य का समीक्षा कैसे करेंगे? CLF स्तर पर इस योजना को लेकर चर्चा और प्रक्रिया।*

सहजकर्ता पूरे योजना को SAC के रेजिस्टर में लिखने के लिए कहेंगे ताकि आगे की बैठक में इसपर चर्चा हो सके।

अंत में सभी सदस्यों की प्रतिक्रिया या फ़ीड्बैक के साथ प्रशिक्षण की समाप्ति।

आपको पांच दिन के सामाजिक सुधार उप समिति के प्रशिक्षण में-

- *क्या अच्छा लगा?*
- *क्या दिल को छू गया?*
- *इस प्रशिक्षण के बाद आप किस मुद्दे पर काम करना चाहेंगे?*

जागोरी
JAGORI

प्रदान
Pradan
PROFESSIONAL ASSISTANCE
FOR DEVELOPMENT ACTION

JSLPS
Jharkhand State Livelihood Promotion Society